लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]

Second Session

Preservation Parliament Library

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

ग्रंक 46 शनिवार, 22 जुलाई 1967 / 31 ग्राषाढ़, 1889 (शक)

No. 46 Saturday, July 22, 1967 / Asadha 31, 1889 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	6273-6275
सभा का कार्य	Business of the House ...	6275-6278
ग्रनुदानों की मांगे	Demands for Grants	6278-6335
निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय	Ministry of Works, Housing and Supply..	6278-6311
श्री एस. पी. राममूर्ति	Shri S. P. Ramamoorthy	6279
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	6280
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी	Shri R. S. Vidyarthi	6281
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	6283
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	6284
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	6300
श्री निहाल सिंह	Shri Nihal Singh ..	6301
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	6301
श्री गनेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	6301
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh	6303
श्री रामावतार शर्मा	Shri Ramavtar Sharma	6305
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	6305
श्री श्री निवास मिश्र	Shri SriNibas Misra	6306
श्री रामजीराम	Shri Ramji Ram	6306
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	6307
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	6307
श्री रा. की अमीन	Shri R. K. Amin	6307

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	6308
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय	Ministry of Health and Family Planning	6311–6335
श्री सु. कु. तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	6312
श्रीमती तारा सप्रे	Shri Tara Sapre	6313
श्री बृज भूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	6314
श्री एंथानी रेड्डी	Shri P. Anthony Reddy	6315
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	6316
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtgi ..	6316
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shri Sheela Gopalan	6326
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Sekhar Singh	6327
श्री गणपत सहाय	Shri Ganpat Sahai	6327
श्री शिवचरण लाल	Shri Shiv Charan Lal ..	6327
श्री कुचेलर	Shri G. Kuchelar	6328
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swaroop ...	6328
डा. श्री चन्द्रशेखर	Dr. S. Chandrasekhar ...	6329
विनियोग (संख्या 2) विधेयक,–1967	Appropiration (No.2) Bill, 1967	6335
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to Introduce	6335
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	6335
श्री मुरारजी देसाई	Shri Morarj Desai	6335
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	6338
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ...	6338
श्री के. के. शाह	Shri K. K. Shah ...	6339
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	6339
खण्ड 2, 3, अनुसूची तथा खण्ड 1	Clauses 2, 3, the Schedule and Clause 1. ..	6340
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	6340

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 22 जुलाई, 1967/ 31 आषाढ़, 1889 (शक)
Saturday, July 22, 1967/Asadha 31, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : As there is no question hour today, my question of privilege may be taken up first.

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली–सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... ......

अध्यक्ष महोदय : जब सभा किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रही है तो व्यवस्था के प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Sir I want to draw your attention to the rules in this regard.

Shri Kanwar Lal Gupta : I have also.........

अध्यक्ष महोदय : अभी अभी मैं इन सभी ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं, विशेषाधिकार संबंधी सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों को देख रहा था । इनकी संख्या 30–40 है । मैंने कुछ पर विचार कर लिया है, कुछ को मुझे संबंधित मंत्रियों को भेजना होता है क्योंकि मुझे सरकार की राय भी जाननी होती है । जैसे ही कोई सूचना दी जाती है वैसे ही मैं उसे सभा के समक्ष नहीं रख सकता । आखिर कोई तरीका होना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : I want to say some thing about the question of privilege.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूँ। केवल दो मिनट पहले ही मैंने उसे देखा है।

Shri Madhu Limaye : Sir, you have to decide whether there is a **prima facie** case or not, There is nothing to consult the Minister in this regard. I had giving its notice Yesterday evening. Priialege motion is to be dealt with urgently.

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना ठीक हो सकता है परन्तु मुझे भी तो उस पर विचार करने दीजिये।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : How do you purpose to proceded in this case ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है कि माननीय मंत्री तथा राज्यपाल के वक्तव्यों में अन्तर है। अवश्य ही मुझे मंत्री महोदय से इसका कारण जानना होगा। यदि मेरा उससे समाधान नहीं होगा तो मैं इसे सभा के सामने रखूंगा, परन्तु उससे पहले नहीं।

Shri A.B. Vajpayee : You are at liberty to counsult the hon. Minister. But you can counsult your records also. If prima facie it appears that contradictory statements have been given you should take up this matter.

Shri Madhu Limaye : I want to point out the contradiction between the statement of the Minister and the Governor,

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री कुछ कहना चाहें तो मेरी ओर से उन्हें अनुमति है।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मेरे तैयार होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है मैं उस पर कायम हूं। जहां तक राज्यपाल के वक्तव्य का सम्बन्ध है, उसकी सत्यता का पता लगाना होगा।

Shri Madhu Limaye : Why the hon Minister should find out its correctness from the Governor.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह तो माना कि मुझे इसका पता लगाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir.........

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त मैंने आप को बैठ जाने को कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह ठीक नहीं है। हमें कुछ कहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल निर्दलीय सदस्यों नें कुछ हद तक यह ठीक ही कहा था कि चिल्लाने वाले सदस्यों को ही बोलने का अवसर मिलता है । माननीय सदस्यों को इस तरह खड़े हो कर चिल्लाना शुरु नहीं करना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : There is no question of shouting we fight for our rights and privilages under the rules.

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह अधिकार तो उनका भी है, यह अधिकार नियमों के अर्न्तगत ही होना चाहिये यह नहीं कि किसी समय भी खड़े हो जायें ,

---

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सोमवार, 24 जुलाई 1967 में आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं । —

(1) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967

(विचार तथा पारित करना)

(2) चाय (संशोधन) विधेयक, 1967

(विचार तथा पारित करना)

(3) बाट और माप मानक (जिला कोहिमा तथा मोकोकचुंग पर विस्तारण) विधेयक, 1967

(विचार तथा पारित करना)

(4) वर्ष 1964–65 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : हमें यह आश्वासन दिया गया था कि महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा । परन्तु अगले सप्ताह में इसे नहीं लिया जा सकता । यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये । आपको याद होगा कि जब श्री चागला ने यह घोषणा की थी कि 1962–63 में लाठीटीला-डुमाबाड़ी क्षेत्र के पांच गांवों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था तो हमने तथ्यों की हेराफेरी के बारे में विवाद उठाया था । यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये जैसा कि आपने आश्वासन दिया था ।

डा० हजारी के प्रतिवेदन के बारे में भी अगले सप्ताह के घोषित कार्य में कोई उल्लेख नहीं है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सभा के स्थगित होने से पहले डा० हजारी तथा अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित आदिम जाती आयुक्त के प्रतिवेदनों के लिये समय नियत किया जायेगा।

Shri S. M. Joshi (Poona) : No useful purpose is going to be served if the DA Commission report is to be discussed here after the Government deciession thereon, The hon. Finance Minister should be pursuaded to us a chance to discuss this rep rt either in the Joint consultative council meeting or in this House.

He should convince the representatives of the employees before taking any decesion on this report. If this is not done, the employees are not left with any alternative but to resort to action.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There is a committe of the house to alocated priorities to the No-day yet named motions. The committee has allocated priority to the motion relating to arms help to Pakistan by Amirica and other Weastern Countries, This is a very important matter and if no time is to be allocatted to such a motion inspite of the recommendation of this committee. There is no use of having such a committeo and also the rules relating to no-day-yet named motions, I submit that one or two motions to which priority has been accorded by the committee should be given time for discussion.

As the demand of the Education Ministry are not likely to be discussed, time should also be allocated for discussion on the Kothari Commissions report before the end of this session, because it is an important report.

We should also be informed as to whether the present session is going to be extended by a week or so.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Time should be found for discussion on the motions relating to Shrinking area of India and ceiling on individual expenditure Assurance, was givn to accommodate these two motions. I want to know when these are going to be taken and whether they are going to be taken up under rule 184 or rule 193.

Shri A B: Vajpayee (Balrampur) ; The motion relating to the controversy about the Lathitilla-Dumabari area should be taken up for discussion in this very week, as it is a very serious matter.

The D. A. Commission report should also be discussed in this House so that the hon. Finance Minister can know the views and reaction of Members of this House.

Shri Bal Raj Madhok (Delhi) : Last week Prime Minister made a Statemnet about the Administrative Reforms Commission, You also ansured us to find time for this. Time should therefore be found for this also.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The textile indu try is facing a crisis at present and lakhs of workers are going to be thrown out, Time should be found for discussion on this important topic also.

The Government of Madhya Pradesh has prorogued the session of the Assembly due to the influence of the Congress Party. This matter should also be discussed here,

डा० राम सुभग सिंह : उप प्रधान मंत्री ने एक पत्र लिखा था और कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला किया था कि गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद चर्चा होगी। लाठीटीला–डूमाबाड़ी के प्रश्न के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वैदेशिक कार्य मंत्री देश से बाहर गये हुए हैं।

The no-day yet named motion referred to by Shri Prakash Vir Shastri and Shri Madhu Limaye's motion re; ceiling on individual income have been accepted for discussion. I cannot say any thing about the motion re: "Shrinking area of India" now as the External Afflairs Minister is out of the country.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : This relates to the Ministry of Education–Survey of India.

Dr. Ram Subhag Singh : It is not possible to take it up for the present.

It is also not possible to have a discussion on the crisis facing the textile industry at present. As the session is not going to be extended beyond 11th or 12th Angust, other issues are not likely to be discussed in this session.

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि दलों के नेता कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग नहीं लेते। वहां पर इन सब बातों पर चर्चा हुई है। हजारी प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये 7 घण्टे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन के लिये 7 घण्टे नियत किये गये हैं। महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर अगले सप्ताह या सत्र समाप्त होने से पहले चर्चा होगी। सीमा संबन्धी प्रस्ताव के बारे में यह निर्णय किया गया था कि छुटपुट चर्चा के बजाय सीमा संबंधी सभी मामलों पर पूरे दिन चर्चा की जाये। मेरा निवेदन है कि दलों के नेता समिति की आगामी बैठक में भाग लें ताकि हम इन विषयों से संबंधित मंत्रियों से विचार–विमर्श करके समय निर्धारित कर सकें।

सभा 11 अगस्त को नहीं तो 12 को अवश्य ही अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जायेगी। मैंने संसद कार्य मंत्री को इस बारे में सूचित कर दिया है।

श्री मं० रं० कृष्ण (पद्दपल्लि) : क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन सत्र के अन्त में ही लिया जाना जरूरी है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए 7 घंटे नियत किये गये हैं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि इसपर शुरू में चर्चा हो या अन्त में। बजट पर बहस पहले होना जरूरी है। हमें प्रसन्नता होनी चाहिये कि दो वर्ष के बाद हमें इस पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है।

Shri Ram Sewak Yadav : (Barabanki) : The practice so far has been that the position about calling Attention notices etc. was intimated to the Members concerned. Hon. Members were intimated as to when their motions etc. were going to be taken up. The hon. Home Minister had a talk with the Chief Minister as well as the Governor of Madhya Pradesh. We do not know when it is going to be taken up at 5 p.m. or later on.

अध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश के बारे में तीन घन्टे से अधिक समय तक चर्चा की गई थी। मैं किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिये समय देने के लिये तैयार हूं परन्तु मेरी कठिनाई यह है कि मुझे सभी माननीय सदस्यों की तसल्ली करनी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्राय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंत्रिमण्डल सचिव से मिले थे और उनसे प्रार्थना की थी कि महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर संयुक्त परामर्श व्यवस्था में चर्चा की जाये। परन्तु वह इसके लिये भी सहमत नहीं हुए हैं। यही कारण है कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण बन गया है और मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले पर सभा में चर्चा करायें।

अनुदानों की मांगें-जारी

DEMANDS FOR GRANTS–Contd.

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की मांग संख्या 87 से 90, 103 से 105 और 138 से 140 पर चर्चा तथा मतदान होगा। इसके लिये चार घंटे नियत किये गये हैं। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे 15 मिनट के अन्दर अपने अपने कटौती प्रस्ताव की संख्या, जिसे वे प्रस्तुत करना चाहे, लिख कर दे सकते हैं।

वर्ष 1967-68 के लिये निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
87	निर्माण और आवास विभाग	16,07,000
88	लोक निर्माण कार्य	25,81,87,000
89	लेखन-सामग्री और छपाई . . .	9,23,55,000
90	निर्माण और आवास विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,07,67,000
103	पूर्ति विभाग . . .	48,53,000
104	पूर्ति और निपटान . , . .	2,76,97,000

105	पूर्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	23,41,000
138	दिल्ल पूंजी परिव्यय .	3,37,61,000
139	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	6,00,00,000
140	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	70,96,000

श्री एस० पी० राममूर्ति (शिवकाशी) : जब मैं इस मंत्रालय की गत 20 वर्षों की प्रगति को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि सरकार विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न जातियों में भेदभाव उत्पन्न करने के लिये स्वयं उत्तरदायी है। शहरों में तो बहु-मंजली इमारतें बनाई गई हैं परन्तु देहातों में उस समय से लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जब गांधी जी ने लिखा था कि भारतीय गांव को देखने से पहले उसे सूंघा जा सकता है। हालांकि सरकार ने गन्दी बस्तियों की सफाई करने के बारे में अपनी पवित्र भावना व्यक्त की है परन्तु वह यह महसूस नहीं कर पाई है कि मूल समस्या गांवों को छोड़कर शहरों में आकर बस जाने की प्रवृत्ति को रोकने की है। हमारे देश की 82 प्रतिशत जनसंख्या देहातों में अमानवीय स्थिति में रहती है। इसलिये मंत्रालय को वहां पर अधिक ध्यान देना चाहिये और अधिक धन खर्च करना चाहिये। केवल तभी ठोस परिणाम निकल सकते हैं।

अब मैं पूछना चाहूंगा कि ग्राम गृह-निर्माण कार्यक्रम में ढील क्यों रही है। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में 133,000 नये मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु वास्तव में 7,185 मकान ही बनाये गये थे। इस तरह से तीसरी पंचवर्षीय योजना में 125,000 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु वास्तव में 25,788 बनाये गये। अतः मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसे मंत्रालय को जो केवल 20 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा कर सकता है, रखना कहां तक जायज है ?

देहाती मकानों की समस्या की सापेक्ष रूप से कल्पना नहीं की गई है। सरकार ने शहरों को प्रश्रम देने की एक परम्परा बना ली है। हमारे स्वतंत्र दल का यह मत है कि हमारी संस्कृति के पीछे किसान ही है। किसानों का अच्छे मनुष्य की तरह रहने का अधिकार है। यह तर्क प्रस्तुत करना सही नहीं है कि वे राजसहायता को मकान बनाने के प्रयोग में नहीं लायेंगे और उसे अपने खेतों में प्रयोग में लायेंगे। यदि यह बात सही भी है तो वह इसलिये है कि उन्हें मकान बनाने के लिये कभी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। इसलिये हमें ग्रामीणों को मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। वह हम इस तरह से कर सकते हैं कि सर्वोत्तम मकान बनाने वालों को पुरस्कार देने की व्यवस्था की जाये। इसके अलावा शहरों की तरह गांवों में भी सहकारी गृह-निर्माण कार्य प्रयोगात्मक ढंग से लाया जाना चाहिये।

मैं ग्रामीण गृह-निर्माण कार्य पर इस लिये जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा विचार है कि हमारी आर्थिक समस्यायें इससे हल हो जायेंगी। गृह-निर्माण बनाना केवल एक उद्योग का काम ही नहीं है। इससे कम से कम 16 सहायक उद्योगों को काम मिल जायेगा। अतः यदि

हम 7 करोड़ रुपये बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना चाहते हैं तो हमें यह तरीका अवश्य अपनाना चाहिये ।

अब मैं इस मंत्रालय का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसपर उसे विचार करना चाहिये । मैं देखता हूँ कि हमारी ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई हो । इसका कारण यह है कि योजनाओं को लम्बा करने से उनकी लागत बढ़ती चली जाती है । योजनाओं को लम्बा करने से भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है और कर्मचारी और ठेकेदार भी आपस में मिल जाते हैं । मुझे एक मामले का पता है जहां 15 लाख रुपये का ठेका बढ़कर 50 लाख रुपये तक पहुंच गया था । इसका परिणाम यह होता है कि जनता पर बोझ पड़ता है । जनता पर कर लगाकर यह ठेके का भुगतान किया जाता है ।

अब मैं कुछ शब्द होटलों के बारे में कहूँगा । यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी हालत में जबकि गांवों में मकान बनाने के लिये धन देने में हिचकिचाहट की जाती है वहां अशोक होटल जैसे बड़े बड़े होटलों पर लाखों रुपये खर्च कर दिये जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह समाजवाद है ।

Shri Prem Chand Verma : (Hamirpur) : I support the demands of the Ministry of Works, Housing and Supply. This Ministry has done very good work during the last few years specially in constructing new buildings. The Ministry has also constructed markets in Delhi so that business may develop there.

Now I come to the other side of the picture. This Ministry has formed a body known as Delhi Development Authority. The work of this body is simply scandalous. The black marketing is very much prevalent is D.D.A. It has indulged in great profiteering in the sale of plots in Delhi. It purchased land from the farmers at cheaper rates and sold the same to the public at much higher rates. But even after charging exorbitant prices from the people it did not provide even municipal facilities to them.

Apart from it while this Government is constructing eight storey or twelve storey buildings in Ramakrishnapuram they are not allowing the private parties to construct more than four of five storey buildings.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

When they complain, the reply to them is given that rules do not permit that. I want to know what is the reason for that. The policy of the Government is not understandable. On the one hand it is said that there is shortage of office space in Delhi by 31 lakh square feet. On the other hand private parties are not allowed to construct multi storey buildings. If permission is granted to them then those buildings can be used for offices also.

It has been mentioned in the report of the Ministry that 56,000 units of quarters are required for Government employees. The Ministry constructed 3112 quarters in 1965-66 and only 431 in 1966-67. Thus instead of constructing more quarters the Ministry has constructed less in the next year. Thus instead of progress there was decline. In

this way we will not be in a position to fulfil the requirements even in fifty years. Even those employees who have put in more than 15 years service have not so far been allotted quarters. The inefficiency of the Ministry can also been reflected by looking at the fact that even after several months this Ministry has not been able to provide accommodation even to Members of Parliament what to speak of others.

I would also like to say something about Jhuggi—Jhonpries and slums. It is said that scheme have been framed in this regard. But what is the use of these schemes. When we have not been able to clear the slums in Delhi even after dealing with this problem for continuous fifteen years. On the other hand we see that multi-storey building are being constructed in New Delhi. The number of Jhuggies in 1966 has been doubled than what it was in 1960. After that the number has again increased. This problem is taking a serious turn day by day. I would like to know why Government allowed the persons to construct Jhuggies. Is it not a fact that the officials of Delhi Corporation and the **D.D.A.** illegally charge rent from Jhuggidwellers and that is why they are not allowing Jhuggi-dwellers to construct Jhuggies

I would also like to say something about Central Public Works Department. also This department is known for being a hot-bed of corruption. Without giving bribe you cannot get any work done. As far as the question of Supply Department is concerned same is the story there also. It would be folly to refuse to admit that corruption is not prevalent there. If we have not been able to do anything during the last twenty years in this regard we have achieved nothing

I would also like to make one more request. Working Journalists should also be entitled to accomodation from the general pool. At least the accredited press representatives should be provided cheap accommodation.

Shri R. S. Vidyarthi (Karol Bagh) : After independence people were expecting that Government will make arrangement for accommodation for every citizen of India but even after the lapse of twenty years we see that the number of Jhuggies is increasing not only in villages but in urban areas also. The condition of Delhi is even worse. A master plan has been prepared to make Delhi a show window by 1981 but the way things are going on at present they would make it a city of slums. If the Ministry wants to make Delhi a beautiful city it should construct every year 35,000 dwelling units because 1½ lakh persons are migrating to this city every year. This Ministry is constructing at the most 15,000 dwelling units. Therefore slum conditions are bounds to grow

For this purpose the Ministry had acquired 65,000 acres of land and has passed the work of development of this land to D. D. A. It is a matter of great regret that over a period of 10 years it has developed only 3,000 plots and constructed 180 units only. Even these units are lying vacant because the condition of these units is very bad. Besides this inefficiency there are many irregularities being done in the matter of allotting shops, cinema plots etc. It is in this way that D. D. A. is working. Through you, Sir, I would request the hon. Minister to pay attention to this Department. In order to improve its working four Members of Parliament should be appointed on that body and a Housing Committee for Delhi should also be appointed.

The problem of Jhuggi Jhonpries in Delhi is very serious. I would request the hon. Minister to give a serious thought to this problem. This problem should be tackled. It is not that people want to live in Jhuggies. They have to live that in compelling circumstances. The scheme of allotting them a plot of 25 yards is senseless because that would mean creation of new slums as they would not be in a position to accommodate themselves in such small plot. Therefore this scheme should be given up and instead they should be accommodated in multi-storey buildings with sufficient space for every family. In this connection I would suggest that in regard to Jhuggi-Jhonpries Government should formulate and declare a definite policy which is to be followed for this purpose. I would also suggest that a housing corporation with a grant of loan of Rs. 10 crores should be set up for Delhi for constructing houses on hire-purchase basis.

No I would like to tell the irregularities that are going on in this Ministry. So many markets have been constructed in Delhi. The shops there are allotted to people who can help the parties in power during elections. Similarly the C. P. W. D. contractors are also utilised for election purposes.

I would also like to make another submission. It is the rule of Government that rent for Government accommodation should be deposited on the first or every month, but I am sorry to state that Rs. 6 00 were due from the Congress President, Shri Kamraj on 31st March, 1967 for the accomm dat on t him thought the sum should have been paid in advance.

There is another case of corruption in the Department. There are many hotels in Delhi such as Janpath Hotel, Ashoka hotel etc. Because there is no hold of U. P. S. C. over these hotels so they appoint their own men on fat salaries. I wish the hon. Minister make one enquiry of this case and refer it to C.B. ?

As has already been said the Supply Department is full of corruption. One case has also come to my knowledge. In that case a U. P. firm was given contract for supplying roadrollers for border roads and a huge of Rs. 2 crores was involved in that case.

There is one Printing and Stationery Department under this Ministry. A foreign country had supplied paper to this Department for printing text books for Delhi students and this Department charged not only the cost of printing but also the cost of paper and sold those books at a profit of 35 per cent.

Last year when the report of Govinda Reddy Commission was presented, the hon. Minister had stated in this House that the recommendations of this Commissision have been accepted but we find that there were hundreds of Assistant Engineer who have not been confirmed so far though they have put in more than fifteen years service. The same is the case of work-charged establishment. In that establishment also very few people have been confirmed. Jan Sangh dominated Delhi Executive Council has requested the Central Government not to auction the plots upto 300 sq. yards. I would request the hon. Minister to agree to their demand because it will help in bringing the prices of the land down in Delhi.

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर किस समय देंगे तथा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कब शुरू की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को 4 बजे बुलाया जायेगा। उनके भाषण के पश्चात स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ की जायेगी।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। 19 जुलाई के 'स्टेटसमेन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि रामाकृष्णपुरम में लगभग 4,000 क्वाटर बनकर तैयार हैं परन्तु बिजली और पानी का कन्कशन न होने के कारण उनको दिया नहीं गया है।

इस मंत्रालय तथा दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम 'डेसू' के बीच भुगतान के बारे में कुछ झगड़ा चल रहा है। दिल्ली में मकानों की कमी को देखते हुए यह झगड़ा उचित नहीं है। सभी जानते हैं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में किस प्रकार प्रत्येक कार्य में विलम्ब होता है। अब समय है जबकि हमें इस विभाग को बन्द कर देने के बारे में विचार करना चाहिए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अगस्त 1966 से लेकर फरवरी 1967 तक 14 कनिष्ठ-तम कार्यकारी इन्जीनियरों को सहायक इन्जीनियर बनाया गया है। कारण यह बताया गया है कि कोई स्थान खाली नहीं है। इस बारे में सभा में एक आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही स्थान रिक्त होते हैं इन इन्जीनियरों को पदोन्नति कर दी जायेगी। यह भी कहा गया था कि इन इन्जीनियरों ने अच्छा काम किया है। इस समय वहां कुछ स्थान रिक्त हैं परन्तु इन लोगों को वे स्थान देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि निर्माण प्रभारित स्थापना के आधार पर 14,000 व्यक्तियों को भर्ती किया जा रहा है। आज की परिस्थितियों में इन बातों को सहन नहीं किया जा सकता। आवास विभाग को ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाने के बजाये अन्य तरीकों से काम कराने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

श्री गोविन्द रेड्डी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। इस अध्ययन दल ने सिफारिशें की थी। परन्तु सरकार ने इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

स्वतंत्रता के बीस वर्ष बाद भी हम अपने कर्मचारियों को मकान आदि नहीं दे सके हैं। इस बारे में उनकी स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है। ऐसी स्थिति में हम सरकारी कर्मचारियों से दक्षता की आशा नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारियों को मकान आदि देने पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों पर कब चर्चा होगी।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (श्री श्री० चन्द्रशेखर) : यदि यह चर्चा 3.30 म० प० पर समाप्त हो जाती है तो 2 घंटे स्वास्थ्य मंत्रालय पर चर्चा हो सकती है।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : यदि चर्चा समाप्त हो जाये तो मैं 3.30 म० प० चर्चा समाप्त कर दूंगा।

संसद-कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : यदि सभी सदस्यों की इच्छा यही है कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों के लिए अधिक समय दिया जाये तो हो रही चर्चा को जल्दी समाप्त कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है।

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : Even after twenty years of independence we have failed to provide basic necessities of life to our people. Prior to independence we promised these basic necessities to our people and on this very basis we fought and won the freedom struggle from the Britishers. Even to-day Food, cloth and shelter are not within the reach of the common man.

The Government have not paid any attention to the rural housing schemes although the problem is very acute. The Government have practically not made any provision in these years for this purpose. More attention should be paid to the rural housing problem.

The Government have acquired the land for various projects from the farmers. In this process the number of farmers have been rendered Home'ess and jobless. They have also not been paid proper compensation. I would request the hon. Minister that in addition the prople compensation they should also be given suitable lands and accommodation.

It has come to my notice that Jhuggi dwellers are being removed from Delhi. They should be provided with alternative accommodation.

So far as the question of allotment of quarters to the Government sevants is concerned their condition is pitiable. Persons with 10 or more year of service at their credit have not yet been allotted Government accommodation even in the C.P.W.D. I would request the hon. Minister to pay serious attention to this problem also.

Several high officers of the Government of India own their own houses in Delhi. They are earning a lot by letting these houses while they themselves are living in the Government accommodation. Secretary of the Department of Supply have constructed his house costing seven lakhs of rupees and is getting a rent of three and a half thousand rupees. I would request the hon. Minister to hold enquiry in this matter.

श्री जगन्नाथ राव : माननीय सदस्य एक विभाग के सचिव के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। नियम 352 के अन्तर्गत उनको इस बारे में पूर्व सूचना देनी चाहिए थी।

The case inregard to the revision of pay scales of Electricians and wiremen is pending for a long time. The hon. Minister should pay attention to this side.

Shri Babu bhai Chinai has been allotted a quarter at Akbar Road in violation of the allotment rules. Formerly this accommodation was allotted to Shri S. K. Patil, a Cabinet Minister. The hon. Minister should also made enquiries in this matter.

निमार्ण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
88	17	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों पर होने वाले व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
88	18	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और नौकरशाही को रोकने में असफलता ।	,,
88	19	,,	राज्यों को आवास योजनाओं के लिये पर्याप्त अनुदान मंजूर करने में असफलता ।	,,
88	20	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	,,
88	21	,,	इमारतों और सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को अधिक सहायता देने की आवश्यकता	,,
89	84	,,	सरकारी मुद्रणालयों में कर्मचारियों की दशा को सुधारने की आवश्यकता ।	,,

89	85	श्री रामावतार शास्त्री	मुद्रणालय कर्मचारियों को समान वेतन-क्रम और अन्य सुविधायें देने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
90	87	,,	बिहार के नगरों के वैज्ञानिक विकास के लिये धनराशि देने की आवश्यकता ।	100 रुपया
90	88	,,	गांवों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
103	89	,,	उर्वरकों का ऊंचे मूल्यों पर आयात ।	,,
138	90	,,	झुग्गी निवासियों के पुनर्वास में असफलता ।	,,
138	91	,,	कम वेतन पाने वालों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता ।	,,
138	92	,,	दिल्ली के विकास के लिए अर्जित भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता ।	,,
138	93	,,	मकान बनाने के लिए जिन लोगों की भूमि अर्जित की गयी थी उनको मकान बनने पर मकान देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	,,
138	97	,,	मकान बनाने के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में दुराचार रोकने की आवश्यकता ।	,,
138	98	,,	अर्जित की गई भूमि के लिये पर्याप्त मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता ।	,,

138	99	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में मकान बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपया „
138	100	„	झुग्गी निवासियों के लिये मकान बनाने की आवश्यकता ।	„
138	101	„	झुग्गी निवासियों पर अत्याचार रोकने की आवश्यकता ।	„
138	102	„	दिल्ली में रहने वाले कम आय वाले लोगों के लिये मकान बनाने की आवश्यकता ।	„
138	103	„	पत्रकारों के लिये दिल्ली में एक बस्ती बनाने की आवश्यकता ।	„
138	104	„	संसद्-सदस्यों के निवास-स्थानों के डाइनिंग हालों में 'वास बेसिन' लगाने की आवश्यकता ।	„
138	105	„	पुरानी दिल्ली का वैज्ञानिक तरीकों पर विकास करने की आवश्यकता ।	„
138	106	„	पुरानी दिल्ली में उद्यान लगाने की आवश्यकता :	„
138	107	„	संसद्-सदस्यों के निवास-स्थानों में फर्नीचर की संतोषजनक व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	„

138	108	श्री रामावतार शास्त्री	संसद–सदस्यों के निवास–स्थानों के किराये में कमी करने की आवश्यकता।	राशि कटाकर एक रुपया करदी जाये
138	109	,,	सरकारी कर्मचारियों से लिये जाने वाले किराये में कमी करने की आवश्यकता।	100 रुपया
138	110	,,	दिल्ली में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये मकान बनाने की आवश्यकता।	,,
138	111	,,	श्रमिकों के लिये मनोरंजन–गृह के निर्माण की आवश्यकता।	,,
138	112	,,	दिल्ली पुलिस के लिये स्वस्थ वातावरण में मकान बनाने की आवश्यकता।	,,
138	113	,,	होटल कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की आवश्यकता।	,,
139	116	,,	गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण पर अनावश्यक व्यय।	,,
139	117	,,	जन–साधारण के लिये आवास योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता।	,,
139	118	,,	देश के विभिन्न नगरों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण की आवश्यकता।	,,

139	119	”	पटना स्थित आयकर तथा अन्य राजस्व विभागों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण की आवश्यकता ।	”
139	120	”	सामान्य प्रशासन पर होने वाले व्यय में मितव्ययता करने की आवश्यकता ।	”
139	121	”	कुशक रोड के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिपो में लाखों रुपये की बरबादी ।	”
139	122	”	केन्द्रीय मन्त्रियों के बंगलों को सजाने में धन का अपव्यय ।	”
139	123	”	मन्त्रियों के निवासस्थानों पर होने वाले व्यय में किफायत की आवश्यकता ।	”
140	124	”	राज्यों को आवास योजनाओं के लिये अधिक धन देने की आवश्यकता ।	”
140	125	”	मकान बनाने के लिये सहकारी समितियों में अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता ।	”
140	126	”	मकान बनाने के लिये औद्योगिक संस्थानों में अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता ।	”
140	127	”	बड़े बड़े होटलों के निर्माण पर होने वाला अपव्यय ।	”

87	128	श्री कमला मिश्र मधुकर	संसद में मतदान बताने वाले स्वचालित यन्त्र के इलैक्ट्रिशियनों तथा वायरमैनों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
88	130	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'ए', 'बी', 'सी' डिवीजनों तथा पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन के प्रत्येक अनुभागों में स्थायी रूप के रख–रखाव के कार्य के लिये कर्मचारियों को निरन्तर उपस्थिति नामावली में रखा जाना ।	100 रुपया
88	131	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता सेन्ट्रल सर्कल I के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने में विलम्ब	,,
88	132	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता सेन्ट्रल सर्कल II के कार्य–प्रभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
88	133	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता सेन्ट्रल सर्कल III के कार्य–प्रभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
88	134	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आसाम सेन्ट्रल सर्कल के कार्य–प्रभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,

88	135	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रिक सर्कल नं० IV में सहायक वायरमैनों को वायरमैनों के वर्तमान खाली पदों पर पदोन्नत करने की आवश्यकता ।	,,
88	136	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली में वातानुकूलन यूनिट के सफल उम्मीदवारों में से कनिष्ठ तथा वरिष्ठ मिकैनिकों को फोरमैन के रूप में पोदन्नत करने में अनियमितता ।	,,
88	137	,,	सफदरजंग अस्पताल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'जी' डिवीजन के अधीन कर्मचारियों को निरन्तर उपस्थिति नामावली में रखा जाना ।	,,
88	138	,,	मदुरै हवाई अड्डे पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
88	139	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उत्तरी जोन के डिवीजन और सर्किल कार्यालयों में सेलेक्शन ग्रेड क्लर्कों के रिक्त स्थान भरने की आवश्यकता ।	,,
88	140	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिखा पढ़ी करने वाले कर्मचारियों को, जिन्होंने नैपाल जाने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है, उनके स्थायी होने या न होने का विचार किये बिना वरिष्ठता के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर वहां भेजने की आवश्यकता ।	,,

88	141	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन लिखा पढ़ी करने वाले कर्मचारियों को, जो सिक्किम, भूटान और नैपाल में विभिन्न परियोजनाओं पर प्रति-नियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कार्य कर रहे हैं, स्वदेश वापिस लाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
88	142	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सुपरिन्टेन्डेन्ट (बि एंड एम) का पद समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
88	143	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण बिभाग के इलैक्ट्रीकल, डिवीजन संख्या-6 के अधीन वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित होस्टल में कार्य कर रहे लिफ्ट कर्मचारियों को वर्दियां देने की आवश्यकता ।	,,
88	144	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैकेनीकल वर्कशाप डिवीज़न के 'बारबर ग्रीन प्लांट' को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करने की आवश्यकता ।	,,
88	145	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली सेन्ट्रल इलैक्ट्रीकल सर्किल-1 के इलैक्ट्रीकल डिवीज़नों के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के मामले में 5 वर्षों के बाद स्थानान्तरण का नियम लागू करने की आवश्यकता ।	,,

88	146	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एयर–कंडीशनिंग डिवीज़न–1 के 'हीटिंग' और 'कूलिंग' प्लांट अनुभागों के उन खलासियों और सहायक–चालकों को, जो 5 वर्ष से अधिक समय से वहां काम कर रहे हैं, बदलने की आवश्यकता।	,,
88	147	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण डिवीज़न –8 में, पंजाब लोक निर्माण विभाग से 'ड्रेगलाइन' के साथ-साथ कर्मचारियों को लिये जाने पर टाइम क्लर्क का पदनाम अनुचित रूप से खलासी रखना।	,,
88	148	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण डिवीज़न -8 में 'ड्रगलाइन' पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को वर्दियां देने की आवश्यकता।	,,
88	149	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'एफ, डिवीज़न के उन कार्य प्रभारी कर्मचारियों की, जो अज़मेर सेन्ट्रल डिवीज़न से स्थानान्तरित हुए थे, सेवा में 16-7-58 से 20-7-58 तक की सेवा-भंग की अवधि क्षमा करने की आवश्यकता।	,,
88	150	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी वार्षिक मरम्मत तथा रख–रखाव कार्यों को कार्य प्रभारी तथा नियमित कर्मचारियों द्वारा विभागीय आधार पर करने की आवश्यकता।	,,

88	151	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलैक्ट्रीक डिवीजन नं० 5 के कर्मचारियों को शिल्पी भत्ता देने में किया गया पक्षपात ।	100 रुपया
88	152	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'सी' डिवीज़न के कर्मचारियों को शिल्पी भत्ता देने में किया गया पक्षपात ।	,,
88	160	श्री गणेश घोष	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की मजूरी तथा काम की दशा सम्बन्धी नीति ।	राशि घाट कर एक रुपया कर दी जाये ।
88	161	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेका श्रमिक पद्धति को समाप्त करने में असफलता ।	,,
88	162	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा काम पर लगाये जाने वाले ठेका श्रमिकों के हितों (मजूरी, काम की दशा, नौकरी की सुरक्षा आदि) की सुरक्षा के लिए कानून बनाने अथवा नियम बनाने में असफलता ।	,,
88	163	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में असफलता ।	,,
88	166	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के धनबाद सेन्ट्रल और पटना उड्डयन प्रभागों को एक ही मण्डल के अधीन रखने की आवश्यकता ।	100 रुपया

88	167	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के यांत्रिक तथा कर्मशाला प्रभाग को मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम के अधीन रजिस्टर करने की आवश्यकता ।	,,
88	168	,,	टाटानगर में केन्द्रीय सरकार के मौजूदा मकानों में से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	,,
88	169	,,	भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार के मौजूदा मकानों में से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को क्वाटर अलाट करने की आवश्यकता ।	,,
88	170	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत प्रभाग V के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते को क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने की आवश्यकता ।	,,
88	171	,,	संसद सदस्यों के निवास स्थानों के रख-रखाव के लिए भारी संख्या में नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार पर रखना ।	,,
88	172	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मद्रास केन्द्रीय मंडल के कर्मचारियों का गन्नावरम से विशाखापट्टणम को स्थानान्तरण ।	,,
88	173	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रम अधिकारियों द्वारा विभाग में श्रम कानूनों के लागू किये जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,

89	174	श्री गणेश घोष	लेखन–सामग्री और छपाई विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था न होना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
89	175	,,	लेखन–सामग्री और छपाई विभागों का विकेन्द्रीकरण करने की योजना को छोड़ देने में असफलता ।	,,
89	176	,,	लेखन–सामग्री और छपाई विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता ।	,,
89	177	,,	लेखन–सामग्री और छपाई विभाग में श्रम ठेका पद्धति को समाप्त करने में असफलता ।	,,
140	180	,,	अशोक होटल में चारों ओर घूमने वाले जलपानगृह के निर्माण की निरर्थकता ।	,,
140	181	,,	नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा निर्माण–कार्यों के निष्पादन में ठेका श्रमिक पद्धति को समाप्त करने में असफलता ।	,,
140	182	,,	नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होना ।	,,
140	183	,,	नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन के कार्य–प्रभारित श्रमिकों सम्बन्धी नीति ।	,,

140	184	,,	निर्धारित परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद नेशनल बिल्डिग कंसट्रक्शन कारपोरेशन के कार्य–प्रभारित श्रमिकों को स्थायी पदों पर नियुक्त करने में असफलता ।	,,
140	185	,,	नेशनल बिल्डिग कंसट्रक्शन कारपोरेशन की महिला श्रमिकों के साथ किया गया श्रमानवीय बरताव तथा जिसमें शारीरिक प्रहार भी सम्मिलित है ।	,,
140	186	,,	नेशनल बिल्डिंगस् कंसट्रक्शन कारपोरेशन की महिला श्रमिकों को मजूरी का नियमित भुगतान करने में असफलता ।	,,
88	187	श्री रामावतार शास्त्री	सभी छोटे मूल कार्यों को विभागीय रूप में सम्पन्न करने में असफलता ।	,,
140	188	,,	नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा कार्य छोटे–छोटे ठेकों पर दिये जाने की नीति ।	,,
87	189	श्री कामेश्वर सिंह	जिन सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली तथा नई दिल्ली में अपने मकान हैं उन्हें सरकारी आवास-स्थान अलाट करने के बारे में नीति ।	,,

87	190	श्री कामेश्वर सिंह	सरकारी आवास–स्थानों में उद्यानों की सुविधाओं तथा उनकी देखरेख करने सम्बन्धी मामलों में मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के समान ध्यान देने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
87	195	श्री जार्ज फरनेन्डीज	सरकारी निवास–स्थानों के निवासियों की शिकायतें दूर करने में मोती बाग–II देव नगर तथा नेताजी नगर के केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के पूछताछ कार्यालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की अकुशलता तथा शिकायतों पर ध्यान न देना ।	100 रुपये
87	196	,,	सरकारी आवास–स्थानों के उद्यानों की देखरेख व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
87	197	,,	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान बनाने के लिये मन्त्रियों तथा अधिकारियों के बंगलों की खाली भूमि के बड़े क्षेत्र का उपयोग करने की आवश्यकता ।	,,
87	198	,,	अल्प और मध्यम वेतन वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को मकानों के निर्माण के लिये भूमि देने के सबंध में युक्तियुक्त और समन्वित नीति बनाने की आवश्यकता ।	,,

87	199	,,	जिन कर्मचारियों के अपनी ड्यूटी के स्थान से 25 किलोमीटर के घेरे के अन्दर अपने मकान हैं, उन्हें सरकारी मकान अलाट करने की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	,,
87	200	,,	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपने ड्यूटी के स्थान के पास मकान की बदली की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
87	201	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में की गई शिकायतों पर, सरकारी मकानों में इन पूछताछ कार्यालयों द्वारा की जाने वाली सेवाओं की पूरी पूरी जांच करने की ग्रावश्यकता।	,,
87	202	,,	यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकारी मकानों में प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में की गई शिकायतें, शिकायत की तारीख से दो दिन के अन्दर ही दूर कर दी जायें, उपयुक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

उपाध्यक्ष महोदय:—ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डे (पदरौना) : मैं इस मंत्रालय के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्रालय द्वारा लाखों कर्मचारियों को सीधे भर्ती किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारियों की शिकायतों तथा सुझावों पर विचार करने के लिए कार्मिक संघों तथा मंत्रालय के मंत्रियों, अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई हैं। मेरे विचार से इस प्रकार कोई हल नहीं निकल सकता। कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए शिकायतों के निपटान तथा सुझावों पर विचार करने के लिए कोई विभागीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

{ **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुई।** }
{ **Smt. Lakshmikanthamma** *in the Chair.* }

मंत्रालय के छापाखानों में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। उनके वेतनक्रमों में बड़ी विषमता है। इस ओर कई बार मंत्रालय का ध्यान भी दिलाया गया है परन्तु इस विषमता को दूर करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

हमारे अनेक प्रयासों के बाद एक वर्गीकरण समिति बनाई गई है। मेरा सुझाव था कि इस समिति में कर्मचारियों के भी एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु इसमें केवल अधिकारियों को ही शामिल किया गया था। इस समिति ने डेढ़ वर्ष के पश्चात अपना प्रतिवेदन दिया है। परन्तु मंत्रालय को अनियमितताओं को दूर करने में पांच वर्ष लगे। अभी तक छापेखाने के प्रूफरीडिंग शाखा के कर्मचारियों के मामलों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की समिति नियुक्त करते समय माननीय मंत्री को कर्मचारियों के प्रतिनिधि को भी शामिल करना चाहिए।

जनपथ होटल की प्रदत्त पूंजी आरम्भ में 11 लाख रुपये थी परन्तु उसको बढ़ाकर 16.70 लाख रुपये कर दिया गया है। इतनी पूंजी पर लाभ केवल 14,000 रुपये है। इस होटल में पैसे बहुत लिए जाते जबकि सेवा बहुत घटिया दर्जे की होती है। होटलों को ठीक ढंग से चलाने तथा पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

अब बहुत से संसद सदस्यों द्वारा बंगलों की मांगें की जा रही है क्योंकि नार्थ तथा साऊथ एवन्यू के फ्लैटों में केवल दो ही कमरे हैं। इन फ्लैटों में एक और कमरे की व्यवस्था की जानी चाहिए। संसद सदस्यों से उनके फ्लैटों में लगे हुए फर्नीचर का प्रतिवर्ष किराया भी नहीं लिया जाना चाहिए। बंगलों तथा फ्लैटों के आवंटन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों को क्वाटर देने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का अब समय आ गया है। इस समय केवल 40 प्रतिशत कर्मचारियों को ही क्वाटर दिये गये हैं। देश के प्रत्येक भाग से सरकारी नौकरी के लिए लोग राजधानी में आते हैं। अतः उनको क्वाटर आदि देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

Shri Nihal Singh (Chandauli) : Shelter is one of the basic necessities of the man. The Government have neglected this very aspect of human nec ssities. On the one hand huge buildings are coming up every day and on the other hanu poor persons have no home to live in. In the rural areas, especially in the tribal areas the position is very critical. In these circumstances, we cannot develop socialistic pattern of society.

There are persons in the cities who possess more than one house and more land than that what is actually required by them. Whereas on the other hand there are persons who have neither land nor house. The gap between the two is very wide. Some legislation should be passed to put a ceiling on the urban property.

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ श्री उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Shri Nihal Singh : I was saying that the Government should pay more attention for providing houses to the poor instead of providing houses to big men.

A number of quarters are ready for allotment in the R. K. Puran in Delhi but they have not been allotted for the last one year. I would request the hon. Minister to look into this matter and take steps to allot these quarters at an early date.

Shri Sheo Narain (Basti) : There is great shortage of accommodation in Delhi. All the Government offices are located in Delhi and in my opinion decentralisation of Government offices can only solve the problem of accommodation. Harijan people are poor and Government should, therefore, provide one or two roomed tenements. They work so hard and still they do not have any houses to live in. Instead of constructing one storeyed buildings, Government should construct 14 storeyed buildings. The poor people who do not have any houses to live they should be provided accommodation there. I request the Housing Minister to provide accommodation to the members of Parliament and remove their difficulties pertaining to accommodation.

Jana Sangh Administration has demolished so many Jhuggies. The people living is Jhuggis in Jamuna Bazar are have been rendered homeless. I request the hon'ble Minister to consider this problem sympathetically and make suitable arrangement for providing them with one roomed tenements. I support the demands of this Ministry.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की योजना, व्यवस्था तथा नीति की किसी प्रकार सराहना नहीं की जा सकती और इस विभाग के लिए जितने धन की मांग की गई है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इस मंत्रालय को इस मामले पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

सभी बड़े बड़े नगरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 1,66,000 रिहाइशी एककों की मांग है जबकि केवल 44,000 एकक उपलब्ध हैं और लगभग सवा लाख एककों की अब भी कमी है। सभी बड़े नगरों में आवास की भारी कमी है और एक कर्मचारी के वेतन का 30-40 प्रतिशत मकान के रूप में चला जाता है। इन सवा लाख लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस बात की कोई परवाह नहीं करता।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में शहरी क्षेत्रों में जन साधारण के लिये 114 लाख मकानों और ग्रामीण क्षेत्रों में 627 लाख मकानों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। परन्तु पिछले वर्षों में इस मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये कार्य से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस आवश्यकता का आधा भाग भी पूरा नहीं हो सकेगा।

जन साधारण की आवश्यकता को पूरा करने के स्थान पर सरकारी कार्यालयों के लिये बड़े बड़े भवन तैयार किये जा रहे हैं। केवल दिल्ली और कलकत्ता में लगभग 9 लाख वर्ग फुट भूमि पर सरकारी कार्यालयों के आवास के लिये निर्माण कार्य हो रहा है। कार्यालय के लिये आवास की निःसंदेह आवश्यकता है परन्तु कम आय वाले कर्मचारियों और मध्य वर्ग के लिये भी तो रिहायशी एकक बनाये जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों के लिए बड़े बड़े भवनों से धन बचा कर के गरीबों के लिये मकान बनवाये जा सकते हैं।

कलकत्ता में मध्य वर्ग के परिवार के लिये रिहायशी मकान लेना असम्भव है। वृहत् कलकत्ता में कारखानों के मालिक सरकार से धन प्राप्त करते हैं परन्तु वे कर्मचारियों के लिये मकान नहीं बनाते। वे भी केन्द्रीय सरकार की तरह कर्मचारियों की आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम मकान बनवाते हैं। वहां भी आवास की भारी कमी है और कर्मचारियों तथा शहर से निकाले गये मध्य वर्ग के लोगों में काफी मुकाबला चलता रहता है।

दिल्ली में भी आवास की स्थिति काफी खराब है। सरकारी कार्यालयों के क्षेत्र में मध्य वर्ग के लिये आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। इन कार्यालयों में काम करने वाले हजारों लोगों को दूर दूर के क्षेत्रों से आना पड़ता है। इन दूरस्थ स्थानों पर भी मकानों के किराये बहुत अधिक हैं। कार्यालय के आवास के साथ साथ जनसाधारण के लिये आवास की भी आवश्यकता है।

मकान बनाने के लिये सरकार किस प्रकार रुपया नियत करती है और खर्च करती है उसकी दशा भी शोचनीय है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मकान बनाने की विभिन्न योजनाओं के लिये 122 करोड़ रुपये की धन राशि का उपबन्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम द्वारा भी 60 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था। 122 करोड़ रुपये की धनराशि में से केवल 82 करोड़ रुपये मकान बनाने के सम्बन्ध में खर्च किये गये। वह सरकार जो जनता की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती, विशेषकर जबकि उस प्रयोजन के लिये धन भी मौजूद है, उसकी निन्दा की जानी चाहिये।

सरकार बेकार की वस्तुओं पर अधिक धन खर्च करती है। अब सरकार मूर्तियों और चित्रों सजाने के लिये 2 लाख 25 हजार रुपये खर्चने का विचार कर रही है। यह बिल्कुल बेकार का खर्च है। इस धन राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में 60 और शहरी क्षेत्रों में 31 मकान बनाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक होटल के विस्तार के लिये दो करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। वहां पर घूमने वाला रेस्तरां और भोज-कक्ष बनाये जायेंगे। मेरे विचार में विदेशों से आने वाले शिष्टमंडल इससे अधिक प्रभावित नहीं होंगे। इस दो करोड़ रुपये से बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के साधन जुटाने के लिये लगाया जाना चाहिये।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लगभग 30,000 मजदूर काम करते हैं। इनमें से 6000 मजदूर अस्थायी रूप से काम करते हैं जिनके किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग ठेकेदारों से 80,000 मजदूर काम पर लगाये रखता है। ठेके पर मजदूर रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह खेद की बात है कि महिला मजदूरों के साथ भी बहुत कड़ा व्यवहार किया जाता है। अदायगी में अनियमितता तो एक साधारण बात बन गई है। मंत्री महोदय को विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के बारे में विचार करना चाहिये।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मकान मानव समाज की तीसरी मुख्य आवश्यकता है। पहली आवश्यकता अन्न और दूसरी कपड़ा और तीसरी आवश्यकता मकान की है। हमारा देश एक गरीब देश है और विदेशी शासन का प्रभाव अभी तक हमारे समाज पर है। मकान की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिये 30 से 40 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह कार्य केवल केन्द्रीय सरकार को ही नहीं करना है। केन्द्रीय सरकार तो अपने अधिक से अधिक संसाधनों से इस समस्या का समाधान करने के लिये प्रयत्न कर रही है परन्तु इसके साथ और भी बहुत सी मांगें और महत्वपूर्ण मामले हैं। वास्तव में इस समस्या का समाधान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं, सहकारी समितियों बैंकों, वित्तीय निकायों आदि के सहयोग से हो सकता है। ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिये जिसमें लोग मकान बनाने के काम में, अपने लिये या किराये पर देने के लिये अधिक धन-राशि खर्च कर सकें।

मकान बनाने के सम्बन्ध में धन की मुख्य आवश्यकता है। पिछले 10 वर्षों में हमने जीवन बीमा निगम ऋण या अनुदान, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण या गैर सरकारी बैंकों द्वारा ऋण के रूप में आवास के लिये वित्तीय साधन जुटाने का प्रयत्न किया है फिर भी धन की एक विकट समस्या है। हमें मकान बनाने के काम को उचित प्राथमिकता देनी होगी। परन्तु बजट में जब भी कटौती होती हैं वह आवास के मामले में होती है। राज्य सरकारें इस मामले को उच्च प्राथमिकता नहीं दे रहीं। इसीलिये यह कार्य तेजी से नहीं हो रहा।

सर्व प्रथम भूमि अर्जित की जानी चाहिये। हमने आवर्तक निधि बनाने के लिये राज्य सरकारों को ऋण देकर उनकी सहायता की है जिससे वे भूमि अर्जित कर सकें, मकान तथा दुकाने बनाने और अन्य प्रयोजनों के लिये जनता को दे सकें। इस मामले में हमने प्रगति की

है। बहुत सी राज्य सरकारों ने आवर्तक निधियां बनाई हैं और कुछ अन्य राज्य ऐसा करने का विचार कर रहे हैं जिससे वे नगर पालिका या नगर निगम को भूमि अर्जित करने के लिए धन दे सकें और वे उस भूमि को मकान बनाने के लिए जनता को सस्ते दामों पर दे सकें।

मकान बनाने के सम्बन्ध में एक और बात भवन निर्माण के लिये सामग्री आदि की है। राष्ट्रीय भवन संगठन ने कुछ उपयोगी अध्ययन किये और अब हम उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। हम भवन निर्माण के लिये सामग्री को सस्त मूल्यों पर और आसानी से उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

राज्य सरकारों ने राज्य आवास बोर्ड बनाये हुए हैं। हमारा भी एक केन्द्रीय आवास बोर्ड बनाने का विचार है परन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण इस काम में देरी हो रही है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्थापित आवास बोर्डों ने उपयोगी कार्य किया है। आवास-कार्य को बढ़ाने के लिये हमने दिल्ली में दिल्ली विकास अधिकरण की स्थापना की है और इस अधिकरण ने भूमि अर्जित करने, भूमि का विकास करने और दिल्ली वृहद योजना को अन्तिम रूप देने में बहुत उपयोगी कार्य किया है। हम दिल्ली को एक सुन्दर नगर बनाना चाहते हैं। हमने इस अधिकरण को मकान बनाने के लिये 2 करोड़ रुपए दिए हैं। वे आगामी दो वर्षों में 1600 क्वार्टर बनायेंगे और उन्हें किराया-खरीद के आधार पर बेचेंगे।

हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जनता को और अधिक प्लाट दिये जाये और ताकि मूल्य कम हो जाय जनता उन्हें खरीद सके। इस उद्देश्य से हमने एक बड़ा क्षेत्र अर्जित किया है। इसका कुछ भाग सहकारी समितियों, कुछ नगर निगम और कुछ दिल्ली प्रशासन को दिया गया है जिससे वे उन क्षेत्रों का विकास करके वहां आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवा सकें। केन्द्र सरकार ने सरकारी क्वार्टर बनाने के लिये अपने पास भी कुछ भाग रखा है। यह क्षेत्र लगभग 25000 एकड़ है। आगामी दो या तीन वर्षों में हमारा विचार 55000 एकड़ और भूमि अर्जित करने का है ताकि लोगों को प्लाट उपलब्ध हो सकें।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का सम्बन्ध है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं कर सके। फिर यह विषय राज्य सरकारों के क्षेत्र के अन्तर्गत है। हम उन्हें कहते रहे हैं कि इस दिशा में विशेष प्रयास किये जाने चाहियें। वास्तव में हमारा विचार इस वर्ष राज्य आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का है ताकि ग्रामीण आवास सम्बन्धी समस्या पर उचित ढंग से विचार किया जा सके।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का उल्लेख किया गया था। इस वर्ग का संगठन 30-40 वर्ष पहले बना था। गत तीन या चार वर्षों में हमने इन कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये काफी प्रयत्न किये हैं। कुल 14000 में से हमने 8300 स्थायी पद बनाये हैं। हम निकट भविष्य में अन्य कर्मचारियों को स्थायी बना देंगे। उनके कल्याण के लिये हम उनकी समस्याओं पर सदा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करते हैं और उनको राहत देने का प्रयास करते हैं।

अशोक होटल के बारे में बहुत सी बातें कही गई है। जब यह होटल खोला गया तो इसकी काफी आलोचना की गई थी। इस पर कई प्रकार के प्रतिबन्धों के बावजूद इस होटल को प्रर्याप्त लाभ हो रहा है। जनपथ होटल को भी अधिक तो नहीं परन्तु कुछ लाभ हुआ है। परन्तु किराये के रूप भी हमें इससे 7 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इससे हमारा अभिप्राय यह नहीं कि इस होटल में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके प्रबन्ध आदि में हमारा सुधार करने का विचार है। इन दोनों होटलों के प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सरकार की सेवा के संयुक्त सचिव के स्तर के हैं। हमारा विचार इनके प्रबन्ध में और आगे सुधार करने का है।

भ्रष्टाचार का यदि कोई विशिष्ट मामला हो तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसकी जांच भी करवायेंगे। परन्तु केवल यह कहना कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक है इससे कोई लाभ नहीं है।

Shri Ram Avtar Sharma (Gwalior) : It is wrong to say that efforts are being made to bring down the cost of construction of buildings. Costs of buildings are on the increase. I have got personal experience of Ranjit Hotel. I used to go to Ranjit Hotel in the evening. The hon'ble Members will be pained to know that I received a bill of Rs. 475.00 on account of cooler charges. I would also like to say that accommodation provided to me, not only roof but walls from all sides are leaking. This is the condition of my accommodation.

There are 14,400 persons working in Building Organisation but I am doubtful whether all of them are actually working there. There is no check on them. It has been seen that expenditure on establishment is more than on the construction work.

There is acute shortage of houses in Delhi. The hon'ble Minister has stated that 1,65,857 units are required during the current year but only 431 units have been constructed. We do not want clubs but the Government should do some thing for the poor people.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमन तथा दीव) : गोआ से मन्डवी पुल के निर्माण का कार्य 1964 में आरम्भ हुआ था और उसके 1967 में पूरा हो जाने की आशा थी। परन्तु अभी तक पुल के केवल आधे बांध पूरे हुए हैं। जहां तक साथ मिलाने वाली सड़क का सम्बन्ध है, लोक निर्माण विभाग को पूरा विशिष्ट विवरण भी नहीं दिया गया है। यह इस कारण होता है क्योंकि उस परियोजना के विभिन्न पहलुओं के लिये यहां मंत्रालय के विभिन्न अधिकारी जिम्मेवार हैं। मंत्रालय के किसी एक ही अधिकारी के हाथ में दूसरे कामों के अतिरिक्त किसी विशिष्ट परियोजना की पूरी जिम्मेवारी हो तो बहुत अच्छा होगा। इस अधिकारी को यह देखना चाहिये कि उसके कार्य भार के अन्तर्गत जो परियोजना है, वह अच्छी प्रगति करती है।

मैंने कई बार ठेकेदारों से यह शिकायतें सुनी हैं कि उन्हें अपने बिलों के भुगतान के लिये अफसरों को घूस देनी पड़ती है। यह बात बहुत बुरी है। सरकार को भुगतान की समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये और विलम्ब होने पर अफसरों को दण्ड देना चाहिये। घुसखोरी से छुटकारा पाने का यही एक मात्र तरीका है।

हवाई अड्डे के मार्ग में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की एक बहुत बड़ी योजना है। मैंने देखा है कि इस योजना के अन्तर्गत बहुत से मकान पूरे हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। परन्तु उनमें से कोई भी निवास के लिये नहीं दिया गया है क्योंकि जल तथा सड़कों आदि की व्यवस्था नहीं है। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये ठीक प्रकार की प्राथमिकतायें निर्धारित की जानी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि भवन तैयार हो जायें परन्तु उनमें कोई सुविधा न हो। सुविधाओं की व्यवस्था पहले की जानी चाहिये ताकि निर्माण होने पर लोग उनमें निवास रख सकें।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस मंत्रालय के अन्तर्गत विभाग भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अकुशलता और कदाचारों के लिये बदनाम हैं, यह भी मान लिया गया है कि इस मंत्रालय के प्रति 30 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सतर्कता सम्बन्धी मामलों में फंसा हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि सरकारी भवनों तथा सड़कों की मरम्मत और देखभाल किस प्रकार से होती है। अधिकारियों की रुचि काम का निरीक्षण करने से अधिक ठेकेदारों के बिलों में होती हैं।

इस मंत्रालय के कर्मचारी अधिकांशतः कार्य प्रभारित होते हैं और उनकी सेवा की शर्तें ठीक नहीं है। कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिये। इसी तरह तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भी सन्तोषजनक नहीं हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जहां तक सम्भव हो काम पर कम से कम श्रम हो और कर्मचारियों को सुविधायें दी जायें।

अशोक होटल तथा जनपथ होटल का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाता है। अशोक होटल तभी तक चलाना ठीक है जब तक इसमें लाभ हो। परन्तु उसमें जैसे ही हानि हो और यह मालूम हो कि इसमें हमारा धन बरबाद हो रहा है तो इसे चालू रखने का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली प्रशासन या नई दिल्ली नगरपालिका अशोक होटल पर व्यय हुई 2 लाख रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल रही है। यदि अन्य विभागों के राजस्व में हानि डाल कर उसमें लाभ दिखाया जा रहा है तो यह कोई लाभ नहीं है और इसकी जांच की जानी चाहिये।

आवास व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। एक तरफ ऐसे बहुत से कर्मचारी है जिन्हें रहने के लिये कोई मकान नहीं दिये गये है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऊंचे दर्जे के मकान दिये जाने चाहिये थे परन्तु अभी नीचे दर्जे के मकानों में ही रह रहे हैं और इस प्रकार जिनको वे मकान मिलने चाहिये उन्हें वे मकान नहीं मिल पाते हैं। इन अनियमितताओं को दूर करने की कार्यवाही की जानी चाहिये तथा कर्मचारियों की शीघ्रातिशीघ्र मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : There is no housing scheme for the rural areas. There is a shortage of houses in the villages, as a result of which the educated persons are leaving the villages and settling in the nearby cities. The minister should devise some scheme for rural housing also. The Congress Government has failed to provide any facility to the tribals. They should also be provided housing and other facilities.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The Minister has painted a rosy picture but he has not cared to consider why the amount allotted to State Governments for housing has not been utilised in full. The Government should also see that steps are taken to put up the maximum number of houses. Many factories do not provide houses to their workers. Funds should be made available to them so that houses could be constructed for the w rker.

A huge amount has been spent on the Government hotels. It has been said that Ashoka Hotel is running at a loss. One of the reasons of such a loss is non-realisation of the dues of the hotel in a number of cases. If those dues had been realised, the position would have been better.

There is a lot of corruption in C. P. W. D. Since the contractors bribe the officers, more payment is made to them. This must be stopped.

Jana Sangh has been accused of demolition of huts in Delhi but 17,000 huts were demolised before the Jana Sangh came to power. The Government should also take steps to solve the Jhuggi-Jhompri problem. The dwellers should be provided with proper accommod tion before uprooting them

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : इस मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों में न केवल केन्द्र में बल्कि राज्यों में भी गृह-निर्माण का कार्य शामिल हैं। जहां तथा ग्रामों में गृह-निर्माण योजना का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह आंखों में धूल डालने के समान है। देश की 75 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है, परन्तु सरकार ने ग्रामीण-क्षेत्रों की आवास समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया है। सरकार को अपनी तकनीकी जानकारी का प्रयोग विकास कार्यों और योजना बनाने में करना चाहिये ताकि ग्रामों में उपलब्ध सामान से ही सस्ते तथा पक्के मक़ान बन सकें।

मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि औद्योगिक मकान जो पहले 250 रुपये प्रति मास आय वाले लोगों के लिये बनाये गये थे, अब 500 रुपये प्रति मास वेतन पाने वाले लोगों के लिये कर दिये गये हैं। निर्धन कर्मचारियों को गन्दी बस्तियों में ही रहना पड़ रहा है। विभाग के दबाव में न आकर वे मकान खाली कराये जाने चाहिये ताकि वे उन कर्मचारियों को मिल सकें।

श्री रा० की० अमीन (ढंढ़का) : इस मंत्रालय के विरुद्ध मेरा मुख्य आरोप यह है कि इसमें कलपना की कमी है। नगरीय क्षेत्रों में कार्यालय भवनों पर अनुचित तरीके से धन लगाया गया है। उसकी अपेक्षा यह धन रिहायशी मकानों पर लगाई जानी चाहिये थी। सरकार को यह देखना चाहिये कि मकान बनाने के लिये अधिक से अधिक स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाये। सरकार दूसरों को गगनचुम्बी वातानुकूलित भवनों का निर्माण करने से कैसे रोक सकती है जबकि वह स्वयं ऐसा कर रही है। सरकार दूसरों के लिये उदाहरण कायम करने में असफल रही है।

मैं भवन निर्माण के बारे में सरकार की नीति के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सहकारी समितियों के नाम पर उन सस्थाओं के माध्यम से ऐसे लोगों को धन दिया जा

रहा है जिनका वह नहीं दिया जाना चाहिये था। उन लोगों के पास पहले ही अपने मकान थे और उन्होने नये मकान बना लिये हैं ताकि उन्हें अधिक किराये पर चढ़ाया जा सके। यदि सहकारी संस्था के नाम पर ऐसा काम होता है तो यह भाई-भतीजावाद ही है। आपने उन 80 प्रतिशत लोगों की उपेक्षा की है जिनके मतों के आधार पर आप यहां चुन कर आये हैं और कुछ प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचाया है जो कि बहुत अनुचित है।

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। मैं सदस्यों द्वारा आलोचना का स्वागत करता हूं। परन्तु मुझे दुःख है कि अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे अस्पष्ट आरोप लगाये गये है कि वे भ्रष्ट हैं। यदि कुछ विशेष मामले उठाये जाते तो यह अधिक अच्छा होता ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और सम्भरण विभाग भी तथा सभी इनकी आलोचना करते है। परन्तु सामान्य रूप से आलोचना करना उचित नहीं है।

मकानों के मामले का सम्बन्ध सभी संसद सदस्यों से है। परन्तु सभी सदस्य बंगले चाहते हैं। मैं अपेक्षाकृत बड़े मकानों की मांग का स्वागत करता हूं परन्तु प्रत्येक सदस्य का बंगले के लिये अड़ना ठीक नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि सदस्यों को जो 'ए' टाइप क्वार्टर दिये गये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। जब 1947 48 में यह फ्लैट बनाये गये थे, तब संसद के सत्रों की अवधि इतनी नहीं होती थी, जितनी पिछले कुछ वर्षों से हो रही है। इसलिये स्वाभाविक ही है कि सदस्य अपने परिवारों के साथ रहना चाहें परन्तु 'ए' टाइप क्वार्टरों में काफी जगह नहीं है। आवास समिति का सुझाव है कि टाइप 'ए' तथा टाइप 'बी' के दो-दो क्वार्टर मिला कर संसद सदस्यों के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था की जा सकती है। इस सुझाव पर मंत्रालय में विचार हो रहा है। परन्तु प्रत्येक सदस्य बंगला चाहता है।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : यह गलत है कि प्रत्येक सदस्य बंगला चाहता है।

श्री जगन्नाथ राव : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वह सदस्य जिसने आवेदन किया है, बंगला चाहता है।

यह सम्भव नहीं है कि सभी माननीय सदस्यों को बंगले दिये जायें। माननीय सदस्य अधिक सुविधाएं चाहते हैं और हम निश्चय ही दोनों सदनों की आवास समितियों के सुझावों के सम्बन्ध में जो कुछ हो सकेगा करेंगे।

जो संसद सदस्य पिछले चुनाव में हार गये थे और जिनके पास अभी तक सरकारी आवास है इस प्रकार के 31 मामले थे और उनमें से अब दो या तीन ही ऐसे मामले रह गये हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध आवास खाली करवाने के लिये कार्यवाही की गई है। जिन लोगों के विरुद्ध आवास खाली करवाने के आदेश ले लिये गये है उन्हें वहां नहीं रहने दिया जायेगा। वास्तव में आवास खाली करवाने के समय कुछ लोग कहने लगते है कि उन लोगों को वहीं रहने दिया जाये परन्तु मैं इस बात के विरुद्ध हूँ।

आवास समितियों ने नौकरों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने तथा गैरेज बनाने के लिये अनुरोध किया है। हम वास्तव में इस पर विचार कर रहे हैं और नौकरों के जितने क्वार्टरों और गैरेजों की आवश्यकता होगी, वे निश्चय ही बना दिये जायेंगे।

यह कहा गया है कि निम्नतम टैंडर स्वीकार कर लेने के बाद अदायगी के समय अत्यधिक धन-राशि दे दी जाती है। वास्तव में यह बात ठीक नहीं है। यदि टैंडर स्वीकार करने के बाद कुछ मदें जोड़ दी जाये तो उनके लिये अतिरिक्त धन-राशि देनी ही होगी। परन्तु ऐसे मामले थोड़े ही होते हैं। ठेके के लिये निर्धारित फार्मों में एक खण्ड अब और जोड़ दिया गया है जिसके कारण किसी कानून में संशोधन हो जाने के फलस्वरूप भवन-निर्माण की सामग्री में यदि मूल्यों में वृद्धि हो गई हो तो अधिक धन-राशि की मांग की जा सकती है। यदि इस सामान के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई हो तभी ठेकेदार को अतिरिक्त धन-राशि की अदायगी की जा सकती है।

बिलों की शीघ्र अदायगी के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जिससे इस विभाग में भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। मैं यह कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार कम होता जा रहा है। मनुष्य का स्वभाव बदलना बहुत कठिन है इसलिये इसमें कुछ समय लगना अनिवार्य है।

यह भी कहा गया है कि दिल्ली विकास अधिकरण ने 56,000 एकड़ भूमि अर्जित की है और प्लाट देने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वास्तव में अभी तक केवल 21,000 एकड़ भूमि पर दिल्ली विकास अधिकरण का कब्जा है। इसमें से प्लाटों का विकास किया गया है।

प्लाट बनाने का यह काम 1963 के अन्त में आरम्भ किया गया था। आरम्भ में कार्य धीमी गति से हुआ परन्तु बाद में प्लाटों के विकास तथा उनके निपटान के कार्य में वृद्धि होती गई। अब तक 4,360 प्लाट तैयार हुए है और उनमें से 2,680 प्लाट नीलाम कर दिये गये हैं। लगभग 1,130 प्लाट कम आय वाले वर्ग को तथा 550 प्लाट अन्य लोगों को दिये गये हैं।

रिहायशी प्लाटों की बिक्री के कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है और उसमें अर्द्ध-विकसित प्लाट भी सम्मिलित किये जा रहे हैं क्योंकि अन्य तरीके अपनाने में बहुत देर लगती है। दिल्ली प्रशासन आगामी पांच महीनों में 1,500 प्लाट नीलामी द्वारा बेचना चाहती है। इसके अतिरिक्त कम आय वाले वर्ग को 250 प्लाट देने के लिये शीघ्र ही एक विज्ञापन जारी किया जायेगा। हमें आशा है कि 1966 के अन्त तक 500 प्लाट और बेच दिये जायेंगे। इस प्रकार आगामी पांच महीनों में 2,250 प्लाट बेच दिये जायेंगे। दिल्ली में जमीन के मूल्यों में अब कमी हो रही है। प्लाटों के दुरुपयोग को रोकने के लिये पट्टे (लीज डीड) में कहा गया है कि 10 वर्ष की अवधि तक इन प्लाटों के हस्तान्तरण की अनुमति दी जायेगी।

झुग्गियों के गिराये जाने का काम बृहत्तर योजना के उपबन्धों के अनुसार किया जा रहा है। जब किसी क्षेत्र से झुग्गियां हटानी होती हैं तो केवल उस क्षेत्र के निवासी उसका विरोध नहीं करते बल्कि वे लोग भी विरोध करते हैं जिनका स्वार्थ निहित होता है। यह अनुचित

बात है। ऐसे मामलों में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध हो या हमारी विचारधारा कुछ भी हो हमें दिल्ली की गन्दी बस्तियों को साफ करने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे दिल्ली एक आदर्श नगर बन सके।

वास्तव में राज्य सरकारें निर्माण कार्य पर कम ध्यान देती है। वे कृषि तथा अन्य उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देती है जहां से उनकी आय में वृद्धि हो। अन्य सामाजिक सेवाओं को उचित प्राथमिकता नहीं देती। हम तो केवल आवास मंत्रियों से यह अनुरोध कर सकते हैं कि योजना में निर्धारित धन-राशि का उपयोग किया जाये। यह भी कहा गया है कि देहाती क्षेत्रों में आवास की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यह बात उचित नहीं है। वास्तव में अधिकांश ग्राम निवासी अच्छे मकान नहीं बनाना चाहते। जो लोग अच्छे मकान बनाना चाहते हैं वे बना रहे हैं। ग्राम निवासी तो कृषि में धन लगाना चाहता है जिससे अच्छी फसल हो और वह अधिक धन अर्जित कर सकें। कम से कम मुझे इस बात की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि ऋण न मिलने के कारण ग्रामवासी मकान नहीं बना सके। यह बात नहीं है। राज्य सरकारों ने भी इस मामले में कोई रुचि नहीं ली।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, हमारे पास जितना धन उपलब्ध है वह हम दिल्ली प्रशासन को दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के आवास के बारे में मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि 60 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के पास आवास नहीं है। जिनकी सेवा 10 वर्ष की हो गई उनके पास भी मकान नहीं हैं। यह एक शर्म की बात है। इसलिये यह अच्छी बात नहीं है परन्तु इस स्थिति का मुख्य कारण धनाभाव है। यदि धन उपलब्ध हो जाये तो हम निश्चय ही और अधिक क्वार्टर बनायेंगे **(व्यवधान)** आवास की चर्चा करते समय हमें अन्य विषयों की ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिये।

रामकृष्णपुरम में गत एक वर्ष से 1800—2000 क्वार्टर बने हुए हैं। उनमें बिजली और पानी की व्यवस्था न होने के कारण हम उन्हें कर्मचारियों को नहीं दे सके। हम स्थिति को सुधारने के लिये काफी प्रयास कर रहे हैं। मैंने यहां तक कहा है कि हम ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक नल लगा कर उन क्वार्टरों को ऐसे कर्मचारियों को दे देना चाहिये जो वहां जाना चाहते हों।

यह कहा गया है कि अशोक होटल के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका ने 2 लाख रुपये बट्टे खाते में डाल दिये हैं। यह बात ठीक नहीं है। अशोक होटल ने नई दिल्ली नगर-पालिका को कितनी धन-राशि देनी है, इस बारे में तीन वर्ष पूर्व एक विवाद उठा था। बाद में एक बैठक में यह निश्चित किया गया था कि 9.95 लाख रुपये में से अशोक होटल को 6.50 लाख रुपये नगरपालिका को देने चाहिये। यदि कोई विवाद पैदा हो जाये और फिर समझौते करके उसका समाधान हो जाये तो उस बात को इस ढंग से नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Ministry of Works, Housing and Supply were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
87	निर्माण और आवास विभाग	16,07,000
88	लोक निर्माण कार्य	25,81,87,000
89	लेखन-सामग्री और छपाई	9,23,55,000
90	निर्माण और आवास विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,07,67,000
103	पूर्ति विभाग	48,53,000
104	पूर्ति और निपटान	2,76,97,000
105	पूर्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	23,41,000
138	दिल्ली पूंजी परिव्यय	3,37,61,000
139	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	6,00,00,000
140	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	70,96,000

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

Ministry of Health and Family Planning

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह कर दें ।

वर्ष 1967-68 के लिये स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
38	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	22,94,000
39	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	12,93,23,000
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	48,75,000
123	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	9,63,93,000

श्री हु० कु० तारडिया (पाली) : चीन ने उद्जन बम का विस्फोट किया, पश्चिम एशिया में युद्ध और नक्सलबाड़ी में भी स्थिति विस्फोटक है। परन्तु हमारे देश में जन-संख्या के विस्फोट की एक गम्भीर समस्या है। भारत में एक मिनट में 38 बच्चे पैदा होते हैं।

{ श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए }
{ **Shri C. K. Bhattacharya** *in the Chair* }

प्रत्येक वर्ष 80 लाख लोग मरते हैं। हमारी जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 120 लाख की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार हमारी जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष एक आस्ट्रेलिया मिल जाता है। मेरे विचार में इस प्रकार की राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं का उत्तरदायित्व केवल सरकार पर ही नहीं समझा जाना चाहिये। यह उत्तरदायित्व मुख्य तौर पर नागरिकों का, सभी दलों का और सभी संगठनों का होना चाहिये। हमें इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझना चाहिये। सरकार इसके लिये जो कार्यक्रम तैयार करे उसका हमें समर्थन करना चाहिये। हमें प्रचारक संस्थाओं की तरह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परिवार नियोजन का प्रचार करना चाहिये। जब तक हम इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ नहीं करते तब तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिये मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने इस समस्या के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय मंत्री तथा अन्य राज्य भी महाराष्ट्र सरकार की नीति का अनुसरण करेंगे और इस कार्यक्रम को और आगे क्रियान्वित करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में एक कदम पहले ही बढ़ाया जा चुका है और वह यह औद्योगिक श्रमिकों को तीन बच्चों के पैदा होने के बाद प्रसूति सम्बन्धी लाभ देने बन्द कर दिये हैं।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि यह कोई बेचने वाली वस्तु है और हमने इसे लोगों को बेचना है। इस कार्यक्रम के प्रचार के लिये हमें सभी साधनों का उपयोग करना चाहिये। अब आकाशवाणी द्वारा भी विज्ञापन प्रसारित किये जायेंगे। इसलिये हमें आकाशवाणी, प्रैस, इश्तिहार पटल और चलचित्रों आदि सभी साधनों से इस कार्यक्रम से होने वाले लाभ का प्रचार करना चाहिये।

इस कार्यक्रम के प्रचार के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि परिवार नियोजन के प्रचार के लिये लगाये गये कैम्पों पर खर्च होने वाला धन बेकार न जाय और उसका प्रयोग किसी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने में न हो। मंत्री महोदय ने लूप (आई० यू० सी० डी०) लगाने के लिये जो धन देने की घोषणा की है, उसमें कुछ भ्रांति हो गयी है। वस्तुतः इसको दुरुपयोग की काफी सम्भावना है। अतः इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिये।

गर्भपात के मामले में ढील देने तथा विवाह की आयु बढ़ाने की योजनायें बहुत ही साहसपूर्वक हैं परन्तु उनके सम्बन्ध में अधिक प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। जो लोग इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मंत्रालय गर्भपात

के मामले में ढील देना चाहता है परन्तु उसे वैद्य नहीं बनाना चाहता। अच्छा होता कि इसका नाम बदल दिया जाता। कुछ इस प्रकार का नाम दिया जा सकता है जैसे गर्भच्युति ताकि जनता उस पर अधिक आपत्ति न करे।

विवाह की आयु बढ़ाने के मामले में हमें समय के अनुसार चलना चाहिये। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को ऐसी बैठकों में भाग लेना चाहिये जो उस आयु सीमा के लोगों द्वारा बुलाई गई हों जिनके लिये यह कार्यक्रम बनाया गया है। सरकार को उनके विचार सुनने चाहिये और मालूम करना चाहिये कि वे क्या चाहते हैं। सरकार को वही पुराने दल, समितियां तथा परिषदें नहीं बनाते रहना चाहिये।

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम बहुत दृढ़तापूर्वक बनाये जाने चाहिये। जहां स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मामले में कोई राज्य उस प्रकार आगे न बढ़ रहा हो जैसाकि उसे बढ़ना चाहिये तो केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। राजस्थान में लगभग 700 डाक्टरों की कमी हैं। सात वर्ष पहले सदरी में एक अस्पताल बनाया गया था किन्तु वहां अब तक कोई पुरुष डाक्टर नहीं नियुक्त किया गया है। यह बात बहुत ही निराशाजनक है। समस्त राज्य में 3 करोड़ लोग रहते हैं परन्तु वहां एक ही रक्त बैंक है। इसके साथ ही उस राज्य में पांच मैडिकल कालेज हैं और उन कालेजों में स्थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां डाक्टरों की कमी है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये।

औषधियों के मूल्य में भी बहुत वृद्धि हो रही है। मंत्री महोदय को इस पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जनता को ठीक मूल्य पर शुद्ध औषधियां मिल सकें। यदि खाद्य अपमिश्रण आदि के मामलों में नियमों का आश्रय भी लेना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिये।

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-पूर्वोत्तर) : जनसंख्या में वृद्धि को रोकने का प्रश्न विवादास्पद नहीं है। सांख्यिकीशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जन्म की वर्तमान दर से भारत की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी हो जायेगी। अतः परिवार नियोजन की समस्या को सामाजिक तथा आर्थिक समस्या के रूप में लिया जाना चाहिये।

परिवार नियोजन की समस्या के दो पहलू हैं। पहला अर्थात् बच्चों की आयु में अन्तर गर्भ निरोधक पदार्थों के प्रयोग से पूरा किया जा सकता हैं। दूसरा पहलू है बच्चों की संख्या सीमित रखना। जहां तक नगरों तथा शिक्षित वर्ग का सम्बन्ध है, परिवार नियोजन कोई समस्या नहीं है। वास्तव में यह समस्या ग्रामवासियों तथा नगरों में रहने वाले श्रमिकों की समस्या है। ग्रामवासियों द्वारा आधुनिक गर्भनिरोधों का सदा प्रयोग किया जाना सरल नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि यदि ग्रामवासियों को ठीक प्रकार से सलाह दी जाये तो वे कंडोम्स का प्रयोग करने के लिये तैयार हो सकते हैं क्योंकि वे सस्ते है और उनका प्रयोग बाह्य होने के कारण एक हानिकर है। अतः उनके प्रयोग पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

मुझे बम्बई में महिला डाक्टरों से मालूम हुआ है कि लूप लगाने का जोरदार कार्यक्रम इतना सफल नहीं हुआ है जितना सरकारी आंकड़ों में बताया गया है। लूप हटवाने के बहुत मामले हुए हैं और ऐसे मामलों के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनमें लूप अपने आप निकल गये हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी रोगियों पर बाद में उचित ध्यान नहीं देते और उन्हें ठीक हिदायतें नहीं देते। इसलिये इस साधन के परिणाम संतोषजनक नहीं निकले हैं।

वेकेक्टोमी का आपरेशन 35 वर्ष की आयु के बाद किया जाना चाहिये। इसका सबसे अच्छा प्रचार वे लोग कर सकते हैं, जिन्होंने स्वयं आपरेशन कराया है और जिन्हें लाभ हुआ है।

परिवार नियोजन के लिये मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिये प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों, पोस्ट मास्टरों तथा ग्राम सरपंचों की सहायता ली जानी चाहिये। वे ग्राम-निवासियों के बीच रहते हैं तथा उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार वे परिवार नियोजन केन्द्र के लिये अच्छा आधार सिद्ध हो सकते हैं। इस कार्य के लिये उन्हें कुछ अधिक भुगतान किया जाना चाहिये और उन्हें बांटने के लिये गर्भनिरोधक पदार्थ दिये जाने चाहिये।

बलात्कार तथा रोगियों के साथ सम्भोग के मामलों में गर्भपात की अनुमति कानूनी रूप से दी जानी चाहिये। तीन अथवा चार बच्चों के बाद गर्भपात के लिये आने वाली महिलाओं का अनिवार्यता बन्धयीकरण किया जाना चाहिये। अन्य मामलों में गर्भपात की विधि उदार बनाई जानी जाहिये। जो पुरुष तथा महिलायें घातक रोगों में ग्रस्त है उनका अनिर्वाय बन्धयीकरण कराया जाना चाहिये। विवाह की आयु नहीं बढ़ाई जानी चाहिये।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : While supporting the cut motions, I would like to submit that the Government have failed to give due importance to health and family planning. The amount allocated to this ministry is not adequate.

There is no law in our country for checking pollution of air and water. The smoke that is emitted out of the chimneys of the factories adversely affects the health of the people. A law to prohibit pollution of air and water should be enacted.

The Government has failed to provide pure drinking water to the people. Rural water supply schemes to provide pure drinking water in the areas in which it is not available should be implemented by the Government.

So far as preventive measure are concerned "anti fly week" should be observed throughout the country. This will help to overcome such diseases which are spread by the flies.

Because of non-availability of necessary facilities, the doctors are reluctant to serve in rural areas Adequate facilities for the doctors in rural areas should be provided by the Government. It should be made obligatory for an M.B B,S. doctor to serve in rural areas for 10 years after completion of the course.

The message of family planning should be carried to every home in rural areas. The help of teachers, Village Panchayats and other bodies may be sought for this purpose. If we are able to overcome the problem of population control, we will also be able to solve our food problem. The funds earmarked for family planning should be properly utilised. Then only we will be able to tackle the problem of population.

श्री एन्थनी रेड्डी (अन्नतपुर) : मैं सरकार को रोगों पर नियन्त्रण करने तथा संक्रामक रोगों को समाप्त करने के लिये बधाई देता हूं। स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है। देश में रोगों तथा संक्रामक रोगों में कमी हो गई है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें मुख्यतः नगरों तक ही सीमित हैं। ग्रामों की ओर ठीक ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें व्यापार आधार पर चलाई जानी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश के सामान्य स्वास्थ्य में अधिक सुधार नहीं होगा। आन्ध्र प्रदेश में स्नायु रोग बहुत हैं और वह पीने वाले जल से फैलता है, सरकार को इस रोग को रोकने के लिये योजना शुरू करनी चाहिये। इस रोग को पूर्णतया नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है और वह बावड़ियां बन्द करके कुएं बनाये जाये। यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में और हमारे जिले में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पीने का जल उपलब्ध नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिये उन क्षेत्रों में जल पूर्ति योजनायें चलानी चाहिये। भारत सरकार ने 1965-66 में 10-16 ग्रामों को जल देने के लिये अनन्तपुर जिले में जलपूर्ति की एक योजना की अनुमति दी थी। उन ग्रामों में 2 से 3 लाख तक लोग रहते हैं। पिछले दो वर्षों से इस योजना पर कोई कार्य नहीं हुआ है। सरकार को एक अथवा दो वर्षों में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

कई प्रकार के कृत्रिम औषधियों के विज्ञापन समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं। हमें तब तक औषधियों के प्रभाव का पता नहीं चल सकता जब तक भारतीय चिकित्सा परिषद उचित रूप से उसे प्रमाणित न कर दे। सरकार को ऐसी औषधियों के विक्रय पर नियन्त्रण रखना चाहिये अन्यथा देश का सामान्य स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा।

दुर्भाग्य से परिवार नियोजन के बनावटी तरीकों पर बहुत बल दिया जा रहा है। हमें ब्रह्मचर्य के पालन जैसे प्राकृतिक तथा सुधारवादी तरीकों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। मन्त्री महोदय को जनसंख्या पर नियन्त्रण के लिये गांधी जी और हमारे शास्त्रों द्वारा बनाये गये उपायों पर ध्यान देना चाहिये।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : I vehemently oppose family planning. It is regrettable that by and large only Hindus are adopting family planning where as Muslims and Christians do not take to this recourse. It will result in decrease of the population of Hindus. Family planning will harm the interests of the country. India is trying to check her population growth while a number of countries lay stress on increase in population and look upon it as a blessing.

The Government should not waste money on family planning. The money thus spent should be utilised for helping the farmers in the task of increasing agricultural production. It is wrong to argue that family planning is essential for tackling the food problem. Other methods should be adopted for this purpose.

Integrated system of medical education should be given up. One who does not have adequate knowledge of Sanskrit cannot study Ayurveda. More funds should be allocated for the growth of Ayurvedic system.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिलहोर) : यह बात विवादास्पद नहीं है कि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है और इसके लिये हमें कार्यवाही करनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

समूचे विश्व में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है । भारत की जनसंख्या में खतरनाक रूप से वृद्धि हो रही है । हम कृषि के विकास पर 2,000 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात् भी हम अपनी अन्न सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है । इस समस्या के साथ निपटने के लिये कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु ऐसा करते हुए यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यह निश्चय ही एक सामाजिक समस्या है । समाज तथा परम्पराओं को भी उचित महत्व देना होगा । परिवार नियोजन की किसी विशेष पद्धति पर बल नहीं देना चाहिये । उसे सम्बन्धित व्यक्ति की इच्छा तथा रुचि पर छोड़ देना चाहिये ।

विवाह की आयु बढ़ाने के प्रश्न पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये । इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने में सहायता मिलेगी । मैं गर्भपात को कानूनी बनाने के विरुद्ध हूं । अन्य देशों में गर्भपात की विधि सफल हुई है । इसका यह अर्थ नहीं है कि जो बात अन्य देशों में सफल हुई है, यह यहां भी सफल होगी । हमारे देश में ठीक तरीके से आपरेशन करने के लिये पर्याप्त शल्य-चिकित्सक तथा डाक्टर नहीं है । इस सम्बन्ध में शान्तिलाल शाह समिति ने बहुत अच्छा सुझाव रखा है फिर भी सरकार को सतर्क रहना चाहिये । हमें सभी सामाजिक पहलुओं पर विचार करना चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रख कर सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
38	1	श्री क० मि० मधुकर	कुष्ठ रोग तथा क्षय रोग का उन्मूलन करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
”	2	”	परिवार नियोजन के उपायों द्वारा बढ़ती हुई जन-संख्या को रोकने में असफलता ।	”
”	3	”	चिकित्सा सुविधा को जन साधारण को उपलब्ध कराने में असफलता ।	”
”	4	”	अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों को निजी तौर पर चिकित्सा कार्य करने से रोकने में असफलता ।	”
”	5	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासन पर होने वाले व्यय में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	”

38	7	महन्त दिग्विजय नाथ	परिवार नियोजन का उद्देश्य हिन्दुओं की जन-संख्या कम करना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
,,	8	श्री बृज भूषण लाल	मैडिकल अफसरों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों के वेतन कम करने की आवश्यकता ।	,,
,,	9	,,	विभिन्न मदों के लिए धनराशि का आवंटन अनुपात से न करना ।	,,
,,	11	श्री रामावतार शास्त्री	मेडिकल कालेजों की कमी ।	100 रुपये
,,	16	,,	गांवों में अस्पतालों के लिये पर्याप्त संख्या में भवन उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	,,
,,	17	,,	देश में अस्पतालों के भवनों का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	18	,,	चिकित्सा कालेजों के छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	19	,,	विलिंग्डन अस्पताल में संसद सदस्यों की चिकित्सा के लिये पृथक वार्ड बनाये जाने की आवश्यकता ।	,,
,,	20	श्री बृज भूषण लाल	प्रत्यधिक प्रशासनिक व्यय को रोकने की आवश्यकता ।	,,

,,	21	,,	क्षय रोग, कुष्ट रोग आदि के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐच्छिक अनुदान देने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	22	,,	परिवार नियोजन के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	23	महन्त दिग्विजय नाथ	परिवार नियोजन द्वारा योद्धाओं का जन्म दर कम कम करने के लिये राष्ट्र विरोधी प्रयत्न ।	,,
39	24	श्री रामावतार शास्त्री	देसी चिकित्सा प्रणाली की उपेक्षा	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
,,	25	,,	डाक्टरों तथा वैद्यों के वेतन-मानों में असमानता दूर करने में असफलता ।	,,
,,	26	,,	चिकित्सा कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
,,	27	महन्त दिग्विजय नाथ	आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के लिये बहुत कम राशि का आवंटित किया जाना ।	,,
,,	28	श्री बृज भूषण लाल	मुख्यालय के कर्मचारियों पर अत्यधिक व्यय ।	,,
,,	29	श्री क० मि० मधुकर	औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के कृत्य ।	100 रुपया

39	30	श्री क० मि० मधुकर	अस्पतालों में दवाइयों की कमी और मरीजों की उपेक्षा।	100 रुपया
,,	31	,,	मानसिक रोगों को रोकने की आवश्यकता।	,,
,,	32	,,	आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का विकास करने की आवश्यकता।	,,
,,	33	,,	मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी कठिनाइयां।	,,
,,	34	,,	नर्सिंग के एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण योजना के प्रसार की आवश्यकता।	,,
,,	35	,,	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का अभाव।	,,
,,	36	,,	निर्धन ग्रामीण लोगों के उपचार के लिये कारगर तथा पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	37	,,	प्रत्येक खण्ड में कम से कम तीन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	38	श्री रामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय स्तर पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं देने की आवश्यकता।	,,
,,	39	,,	आयुर्वेदिक तथा अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास की ओर उदासीनता दिखाना।	,,

39	40	,,	देश भर में अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों का जाल बिछाने की आवश्यकता ।	,,
,,	41	,,	मानसिक रोगों के अस्पतालों की देश में कमी ।	,,
,,	42	,,	डाक्टरी चिकित्सा के समग्र विकास के लिये मैडीकल कालेज स्थापित करने सम्बन्धी नीति ।	,,
,,	43	,,	मलेरिया, तपेदिक और हैजा जैसे भयंकर रोगों से जनता को बचाने की आवश्यकता ।	,,
,,	44	,,	चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को सुविधाएं देने में उपेक्षा ।	,,
,,	45	,,	डाक्टरों को उनके जीवन-निर्वाह के लिये अधिक वेतन देने की आवश्यकता ।	,,
,,	54	श्री शिंकरे	पणजी स्थित मानसिक चिकित्सालय को सहायक अनुदान देने की आवश्यकता ।	,,
,,	55	,,	पणजी स्थित मैडिकल कालेज को सहायक अनुदान देने की आवश्यकता ।	,,
,,	56	,,	गोवा के खदान क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

39	57	श्री शिंकरे	यह पता लगाने के लिये कि पणजी नगर में कहां कहां पर फीलपांव बीमारी के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, इस नगर का पूर्ण सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
,,	58	,,	गोआ की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मारगाओ-गोवा स्थित क्षय रोग के अस्पताल तथा पंजिम–गोवा स्थित सेंट जोसेफ क्षय-रोग निरोध डिस्पेंसरी को उनके विस्तार के लिये सहायक अनुदान देने की आवश्यकता ।	,,
,,	59	,,	सभी प्रकार की गर्भ-निरोध वस्तुओं जिनमें लूप, औषधियां आदि सम्मिलित है के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना खोलने की आवश्यकता ।	,,
,,	60	श्री बृज भूषण लाल	चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	,,
,,	61	,,	लोक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों पर व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	,,
,,	62	,,	सामग्री के मूल्य पर व्यय तथा प्रासंगिक व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	,,
40	65	,,	"इंगलैंड में व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत अनावश्यक व्यय ।	,,

,,	66	,,	अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता।	,,
123	67	श्री क० मि० मधुकर	मलेरिया का पूरी तरह उन्मूलन करने में असफलता।	,,
,,	68	,,	श्लीपद (फाइलेरिया) को रोकने में असफलता।	,,
,,	70	श्रीमती सुशीला गोपालन	केन्द्र द्वारा परियोजना के रूप में वृहत् कोचीन जल योजना का आयोजन कर के कोचीन क्षेत्र में जल दुर्भिक्ष को रोकने में असफलता।	,,
,,	71	,,	केरल में ग्राम्य जल योजनाओं के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धन राशि न देना।	,,
,,	72	,,	सुरक्षित जल सम्भरण के लिए केरल के एरणाकुलम जिले में ग्रामवासियों की मांगों को पूरा करने में असफलता।	,,
,,	73	,,	माही-तेल्लिचेरी-कन्नानोर जल सम्भरण योजना को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	74	,,	कुट्टानन्द जल योजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी देने में असफलता।	,,
,,	75	श्री बृज भूषण लाल	मद्रास में समय पर 'प्रोस्थेटिक' कारखाना स्थापित करने में असफलता।	,,

123	76	श्री बृज भूषण लाल	सरकारी व्यापार की योजनाओं को ठोस सिद्धांतों पर आधारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
,,	77	,,	मैडिकल कालेजों और अनुसन्धान संस्थाओं को अधिक सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
38	87	श्री रामावतार शास्त्री	हाउस सर्जनों को अधिक सुविधाएं देने और उनके वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	88	,,	अस्पतालों में रोगियों को पौष्टिक भोजन देने की आवश्यकता ।	,,
,,	89	,,	खाद्य अपमिश्रण को रोकने में असफलता ।	,,
,,	90	,,	खाद्य अपमिश्रण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
39	93	,,	चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	94	,,	क्षय रोग का उन्मूलन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	95	,,	गरीब रोगियों के लिए सहायता राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
,,	96	,,	कोढ़ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	97	,,	मैडिकल छात्रों को छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता ।	,,

,,	98	,,	देशी चिकित्सा औषधालयों को सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	99	,,	मानसिक रोग अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
,,	100	,,	यक्ष्मा के रोगियों के भोजन पर और अधिक खर्च करने की आवश्यकता ।	,,
,,	101	,,	मैडिकल कालेजों की संख्या तथा उनमें जगहें बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	102	,,	दवाओं की बढ़ती कीमत को रोकने में असफलता ।	
,,	103	,,	हैज़े का उन्मूलन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	104	,,	अस्पतालों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	105	,,	मरीज़ों को अस्पतालों की ओर से दवाएं देने की आवश्यकता ।	,,
,	106	,,	अस्पतालों में दवाएं एवं राशन की चोर बाजारी को रोकने की आवश्यकता ।	,,

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : केरल राज्य में बार बार हैजा फैलने का मुख्य कारण यह है कि वहां पर पेय जल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले और उससे पिछले वर्ष में सारे राज्य में हैजा फैला। अब तेल्लीचेरी में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और यह रोग नाटीगा और त्रिचूर के अन्य स्थानों में भी फैल रहा है। कुट्टानद एक ऐसा स्थान है जहां शुद्ध पेय जल की कमी के कारण प्रति वर्ष हैजा फैल जाता है।

केरल सरकार ने पानी सप्लाई योजनाओं के लिये जो राशि मांगी थी वह उसे नहीं दी गई है। सरकार को बहद् कोचीन योजना और कुट्टानद योजना केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करनी चाहिये ताकि केन्द्र द्वारा राज्य को दी गई धनराशि को अन्य किन्हीं देहाती जल सप्लाई योजनाओं पर खर्च किया जा सके। कुट्टानद जल सप्लाई योजना को कार्यान्वित करना आवश्यक है।

चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। मन्त्री महोदय को रूस की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना चाहिये। वहां हजारों नर्सें जो अस्पतालों में काम करती हैं मेडिकल कालेजों की सायंकालीन कक्षाओं में दाखिल हो जाती हैं और वहां पर प्रति दिन तीन या चार घन्टे अध्ययन करती हैं और निर्धारित अवधि पूरी हो जाने पर डाक्टर बन जाती है। हमें यही प्रणाली अपने देश में अपनानी चाहिये। हमें चिकित्सा से सम्बद्ध व्यक्तियों को डाक्टरों के रूप में प्रशिक्षित करना चाहिये। क्योंकि चिकित्सा स्नातकों के मुकाबले में ये नर्सें जो डाक्टरों के रूप में प्रदर्शित होती हैं, अधिक उपयोगी होती हैं। वे देहाती अस्पतालों में अधिक अच्छी सेवा कर सकेंगी। इससे चिकित्सा शिक्षा पर कम खर्च होगा और देहाती डिस्पेंसरियों में काम करने के लिये हमारे पास अधिक लोग उपलब्ध होंगे।

चिकित्सा का काम करने वाले कर्मचारियों सेवा की की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये। उनकी शिकायतों की जांच करने की कोई प्रणाली होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिये। नर्सें तथा महिला डाक्टर देहातों में जाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका कारण यह है कि उनके लिये वहां पर क्वार्टर नहीं हैं। यदि नर्सों और डाक्टरों को देहातों में कार्य करना है तो उन्हें न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिये।

चिकित्सा कालेजों तथा चिकित्सा संस्थाओं का कार्य भार ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिये जिन्हें उस क्षेत्र का अपेक्षित ज्ञान हो। तभी इन संस्थाओं का कार्य ठीक प्रकार से चल सकता है।

परिवार नियोजन पर जितना धन खर्च किया गया है उसके अनुपात में परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। मैं परिवार नियोजन के विरुद्ध नहीं हूं। हमें परिवार नियोजन सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों में बार बार परिवर्तन नहीं करते रहना चाहिये। कुछ लोग तो परिवार नियोजन को पैसे बनाने का धन्धा समझने लगे हैं। परिवार नियोजन के क्षेत्र में हमें उचित तथा अधिक कारगार उपाय करने चाहिये।

गर्भपात के बारे में विचार विमर्श हो रहा है और उसका अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमें इस बारे में अन्य देशों में प्राप्त हुए परिणामों का अध्ययन करना चाहिये। मैं चाहती हूँ कि गर्भपात के बारे में तुरन्त कोई निर्णय किया जाना चाहिये।

Shri Chandra Shekhar Singh (Jehanabad) : It is a great pity that even after 20 years of independence, Government has not been able to wipe out diseases from this country. Even now many people die of small pox, malaria and other communicable diseases.

The Ministry have set up several committees to look into various problems. But it is a matter of great regret that the Government have not implemented the recommendations of these committees.

The reason behind the problems of health and sanitation in the rural areas is the shortage of doctors and dispensaries there. Government should apply mind to this problem.

Adulterated and sub-standard drugs are being sold in the market. Such drugs spoil the health of the people. Government should take steps to prohibit the sale of adulterated drugs and to stop the manufacture of sub-standard drugs in the country.

We have not enough doctors to meet the requirements of the country. Because of shortage of doctors people have to experience great difficulty. Government should pay adequate attention to this problem.

The prices of drugs are constantly on the increase. Government should bring forward a Patents Bill on the lines of the Bill introduced in the last Lok Sabha and get it passed immediately. This legislation will help us in controlling the prices of drugs in this country.

Shri Ganpat Sahai (Sultanpur) I thank you, Sir, for the opportunity afforded to me for expressing the views on the demands of the Ministry of Health and Family Planning.

I congratulate the hon. Minister for the creditable work done by his ministry for the welfare of the people.

In many countries the vaccination have already been stopped because its after affects are considered dangerous. It is now the considered opinion of many eminent doctors that vaccination gives birth to many diseases afterwards. I would, therefoee, request the hon. Minister to see and stop the vaccination.

The practice of child marraige is still prevailing in our country Although several laws have come into existence yet all of them are proving ineffective. Necessary amendments should be made in the relative laws to make them more effective. Aprovision to the effect that the boys and girls can not be allowed to marry below the age of 21 and 18 years respectively, should be included in the concerned laws.

So far as Family Planning is concerned more steps should be taken to popularize it among the masses.

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : Generally the diseases spread among the poor people who serve the country best. Bihar and Uttar Pradesh are the most affected areas because these areas are inhabited by the poor people. The Government do dot care much for the hardships and difficulties of the poor people which result in diseases. Mere steps should be taken for the eradication of the disease such as Malaria, Tuberculous prevalent among the poor people. Foreign assistance should also be sought, if necessary, for the eradication of these diseases.

Family Planning has encouraged the corruption. There have been instances where young boys of 14 years have been sterilized. This practice should not be made obligatory. Sterilisation and the use of loop should be make on the will of the person concerned.

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : क्या प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति है।

श्री कुचेलर (वैलोर) : मैं अस्पतालों के प्रशासन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दुर्घटनाग्रस्त होने वाले रोगियों के मामलों पर तुरन्त तथा उचित ध्यान देने की आवश्यकता होती है तुरन्त हमारे डाक्टर ऐसा नहीं करते। इनके द्वारा इन मामलों की उपेक्षा किये जाने के कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मेरे चुनाव क्षेत्र वैलोर में हुआ है। एक परिवार विवाह पर जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया परन्तु आधे घंटे तक अस्पताल में पड़े रहने पर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसके फलस्वरूप एक महिला की मृत्यु हो गई थी। इसलिये मन्त्री महोदय को मेरा निवेदन है कि वह डाक्टरों को इस बारे में उचित अनुदेश दें कि दुर्घटना के मामलों पर तुरन्त ध्यान दें और वे अपने कर्तव्य की उपेक्षा न करें।

मन्त्री महोदय ने अपनी मद्रास यात्रा के दौरान 19-4-1967 को यह वचन दिया था कि वहां पर एक स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था शुरू की जायेगी। मेरा अनुरोध है कि उस वचन को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : The supply of good quality of food and poor water should be assured to the people to keep their health in a good state of affairs.

It has been stated that there is shortage of doctors in the country. In this regard I would like to say that good doctors tempted by handsome salaries abroad and that is the reason they do not stay in their own country. The Government should provide handsome salaries and better facilities to doctors to stop their migration to other countries.

There are many Ayurvedic College in U. P. but they are not affiliated to any University. Steps should be taken to affiliate them with one University or the other to keep the uniform standard in the field.

So far as Family Planning is concerned several views have been expressed. Although lot of money has been spent in this field yet I do not oppose of the methods such as the use of loop, pills etc. for achieving this end. In my view these methods are harmful for the health.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : ग्रामों में पानी सप्लाई करने सम्बन्धी योजना की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। योजना आयोग ने एक समय यह अनुमान लगाया था कि इस योजना के लिए केवल आठ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्य बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर भारी रुपये व्यय किये जा रहे हैं तो मेरे विचार में इस छोटी सी राशि को जुटाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्य

सरकारे इन्जीनियरों के अभाव की बात कह रही है जब कि देश में बहुत से इन्जीनियरों को काम नहीं मिल रहा है।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : A high level committee in regard to Ayurvedic, Unani and Homeopathy system of medicines have not yet been appointed. I would like to know when this is likely to be appointed.

श्री पें० वेकंटासुब्बया : यह बड़े खेद की बात है कि स्वतन्त्रता के बीस वर्ष पश्चात् भी हम लाखों गांवों में पीने का पानी सप्लाई नहीं कर सके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अलूर जल सप्लाई योजना जिसमें आन्ध्र प्रदेश के कानूल जिले के 30 गांवों को भी शामिल किया जाना है, स्वीकृति दे दी गई है। यदि हां, तो इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : गत दस वर्षों में दिल्ली की जन संख्या दुगुनी हो गई है। पश्चिमी दिल्ली में अभी तक कोई अस्पताल नहीं खोला गया है। क्या सरकार का विचार पश्चिमी दिल्ली में कोई अस्पताल खोलने का है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Although several medical experts are working in the All India Institute of Medical Services and it is equipped with the most modern equipment yet proper attention is not paid towards the patiens. Steps should be taken to improve the conditions in that Institute.

Government employees in Delhi feel that more Ayurvedic Dispensaries should be opened and better quality medicines should be made available. I would like to know whether the Government will open few more Ayurvedic Dispensaries and better quality medicines will be supplied to the Government employees.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मेरे जिले खम्मम में परिवार नियोजन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह लगभग पूरा हो गया है। परन्तु परिवार नियोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने बहुत थोड़ी धनराशि दी है। इस उद्देश्य हेतु आंध्र प्रदेश को और अधिक धन राशि दी जानी चाहिए।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) : माननीय सदस्यों द्वारा रचनात्मक आलोचना किये जाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

शुद्ध पानी का अभाव ही हमारे देश की 36 प्रतिशत रोगों का कारण है। अतः सर्वप्रथम हमें शुद्ध पानी की सप्लाई का ही प्रबन्ध करना है। परन्तु वित्तीय तथा अन्य साधनों के अभाव के कारण हम अपनी नीति को कार्यान्वित नहीं कर सकते। नगरों में पानी की सप्लाई के लिये यह प्रतिशत सहायता दी जाती है जब कि ग्रामों में 50 प्रतिशत सहायता के रूप में तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में देते हैं।

अगस्त 1947 में केवल 16 विश्वविद्यालय थे जब कि आज 66 अथवा 67 विश्वविद्यालय है और 90 मेडिकल कालेज हैं। यदि साधन उपलब्ध हुए तो दिल्ली में एक और

मेडिकल कालेज खोला जायेगा। फैलने वाले रोगों में हमने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया है और इस बारे में विश्व भर में हमारी सराहना हुई है। लगभग 15 अथवा 20 वर्ष पूर्व मलेरिया के रोगियों की संख्या 10 करोड़ के लगभग थी जबकि अब इनकी संख्या कम हो कर केवल दस लाख ही रह गई है। मैडिकल सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में में वृद्धि की जा रही है।

1941–51 के दौरान हमारे देश में मृत्यु दर 26 था जो घट कर अब केवल 16 रह गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। 1930 से 1940 के दौरान हमारी औसत आयु 30 वर्ष थी जोकि अब बढ़कर 50 वर्ष हो गई है। यदि हम साधन जुटा सके तो आगामी दस वर्षों में हमारी औसत आयु 65 वर्ष हो जायगी। इस प्रकार हम यूरोप के देशों की आयु सीमा के स्तर तक पहुँच जायेंगे।

यदि जन्मदर पर रोक नहीं लगाई जाती तो मृत्यु दर में कमी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यही कारण है कि हम अपने वित्तीय साधनों के अनुकूल ही अपनी जन्मदर पर रोक लगाने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए सभा का कृतज्ञ हूं कि किसी भी सदस्य ने परिवार नियोजन के विरोध में नहीं कहा है।

यह कहा गया है कि हम प्रतिदिन अपने तरीके बदलते रहे हैं। मेरे विचार में इस प्रगतिशील युग में पुराने तरीकों को छोड़े नये तरीके अपनाने में कोई हानि नहीं है।

हम यह सोच रहे हैं कि वन्ध्यकरण को अनिवार्य बना दिया जाये। यदि सरकार राष्ट्र के हित में इस कार्य को उपयुक्त समझ कर करती है तो इसमें राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से कोई असाधारण या गैर कानूनी बात नहीं है। मैं अभी इस बारे में विचार कर रहा हूं। हमने अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया। इस विषय में राज्य सरकारों से पूछा गया था और दो राज्यों के सिवाय अन्य सब राज्य इस बात से सहमत हैं। विधि मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों के विधि विभाग इस पर अभी आगे विचार कर रहे हैं।

जहां तक गर्भपात को वैध ठहराने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न गर्भपात को वैध ठहराने का नहीं है बल्कि उदारता बरतने का है। इस विषय में हम शीघ्रता नहीं कर रहे हैं। हमने इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। हमने सब प्रमाण इकट्ठे कर लिये हैं। इस सभा के माननीय सदस्य श्री शान्ति लाल शाह ने कुछ सुझाव रखे हैं और हमने उन्हें विधि मन्त्रालय को भेज दिया है।

अध्यक्ष द्वारा सभा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की निम्न लिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Health and Family Planning were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
38	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	22,94,000
39	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	12,93,23,000
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	48,75,000
123	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	9,63,93,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, विधि मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय, इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय, पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय, परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय, अणु शक्ति विभाग, संसद-कार्य विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा योजना आयोग और लोक सभा, राज्य सभा तथा उप–राष्ट्रपति सचिवालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands in respect of Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Information & Broadcasting, Ministry of Law, Ministry of Petroleum and Chemicals, Ministry of Steel, Mines and Metals, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Ministry of Transport and Shipping, Department of Atomic Energy, Department of Parliamentary Affairs, Department of Social Welfare, Planning Commission, Lok Sabha, Rajya Sabha and Secretariat of the Vice-President :—

शिक्षा मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
9	शिक्षा मंत्रालय	62,76,000
10	शिक्षा	35,84,82,000
11	पुरातत्व	79,13,000
12	भारतीय सर्वेक्षण	3,36,20,000
13	वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् को अनुदान	11,82,51,000
14	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,17,01,000
112	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	47,71,000

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
17	वित्त मंत्रालय	1,78,30,000
18	सीमा-शुल्क	3,97,26,000
19	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	9,90,35,000
20	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	7,37,03,000
21	स्टाम्प	2,85,05,000
22	लेखा-परीक्षा	13,63,20.000
23	मुद्रा और सिक्का ढलाई	8,79,55,000
24	टकसाल	2,30,10,000
25	कोलार की सोने की खानें	3,33,81,000
26	पेंशनें और अन्य सेवा निवृति लाभ	3,07,60,000
27	अफीम	42,57,000
28	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	26,20,49,000
29	राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	2,11,07,27,000
30	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य–क्षेत्रों की सरकारों के बीच विधि समायोजन	23,15,000
31	विभाजन पूर्व की अदायगियां	1,25,000
113	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	15,33,000
114	मुद्रा और सिक्का ढ़लाई पर पूंजी परिव्यय	15,08,97,000
115	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	28,42,000
116	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	59,69,000
117	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	2,38,65,000

118	वित्त मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,01,73,00,000
119	विकास के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	35,11,21,000
120	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	2,73,59,09,000

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	12,15,000
61	प्रसारण	5,53,69,000
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,14,34,000
127	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	3,38,37,000

विधि मंत्रालय

		रुपये
71	विधि मंत्रालय	41,56,000
72	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,44,16,000

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

73	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	17,43,000
74	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,04,73,000
131	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	13,69,30,000

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय

75	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय	26,92,000
76	भूगर्भ सर्वेक्षण	6,81,84,000
77	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	12,66,71,000
132	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	74,81,84,000

पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
78	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय	11,28,000
79	ऋतु विज्ञान	2,23,33,000
80	उड्डयन	7,64,83,000
81	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,26,13,000
133	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	3,31,61,000
134	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,48,00,000

परिवहन और नौवहन मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
82	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय	85,01,000
83	सडकें	9,73,67,000

अणु शक्ति मंत्रालय

91	परमाणु शक्ति विभाग	17,79,000
92	परमाणु शक्ति अनुसंधान विभाग का अन्य राजस्व व्यय	10,72,67,000
141	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	39,37,00,000

संसद कार्य विभाग

100	संसद् विषयक विभाग	4,00,000

समाज कल्याण विभाग

101	समाज कल्याण विभाग	10,52,000
102	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	2,28,44,000

योजना आयोग

106	योजना आयोग	1,16,25,000

लोक सभा, राज्य सभा और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
107	लोक–सभा	1,00,92,000
108	राज्य–सभा	37,41,000
109	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1,75,000

विनियोग (संख्या 2) विधेयक

APPROPRIATION (No. 2) BILL

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am against the introduction of this Bill. To-day Government of India is functioning without a leader. In Parliamentary system of Government it is the duty of the leader to supervise and consolidate the inter-departmental and administrative matters. I have been observing for some time past that Leader of the House and the Prime Minister has been absenting herself from the House and we cannot get satisfactory replies to our inter-departmental questions. In regard to Madhya Pradesh.......

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 72 विधेयक को पुरःस्थापित करने के बारे में है । यदि वित्तीय मामलों के साथ निपटने के लिये यह विधान मंडल सक्षम न हो तभी नियम 72 के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस नियम में लिखा है कि .."अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के, प्रश्न रख सकेगा ।"

इस पर अब अग्रेतर कोई वाद–विवाद नहीं होगा ।

Shri Madhu Limaye : I shall speak in accordance of the provisions of the constitution (Interruptions)

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह संक्षिप्त वक्तव्य नहीं है। यह तो वाद–विवाद है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 72 में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है ।

Shri Madhu Limaye : I just took the name of Madhya Pradesh, they have become annoyed.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सरकार कुछ धन राशियों को खर्च करने की अनुमति मांग रही है । लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अन्तर्गत इस प्रकार की अनुमति देने से पूर्व सभा को कुछ सम्बद्ध मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने का अधिकार है । **(व्यवधान)**

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 362 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब प्रश्न रखा जाय"

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह नियम नियमानुसार चर्चा के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । परन्तु श्री मधु लिमये पहले अपनी बात पूरी कर लें ।

Shri Madhu Limaye : The hon'ble Home Minister had said two things on the other day viz. the Central Government had not discussed this matter and second thing he said was that the Governor has acted on the advice of Chief Minister **(Interruptions)** I am speaking under Rule 75 and not 218(5) **(Interruptions)**.

श्री रा० ढो० भण्डारे : नियम 72 में अन्य विधेयकों के बारे में उल्लेख है । विनि-योजन विधेयकों का उल्लेख नियम 218 में है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री मधु लिमये की बात को दो या तीन मिनट के लिये सुनना चाहिये और फिर यह निश्चय करना चाहिये कि वह नियम अन्तर्गत है या नहीं। यदि वह ईको असम्बद्ध बात करते हैं तो अध्यक्ष उन्हें रोक सकता है ।

Shri Madhu Limaye : The Home Minister had said that Centre was not consulted with regard to the happenings of Madhya Pradesh. But it has appeared in the press :

> "कि राज्यपाल ने पत्र प्रतिनिधियों को बताया है कि मुख्य मंत्री की सलाह पर सभा का सत्रावसान नहीं किया गया बल्कि विघटन किया गया है । राज्यपाल ने आगे कहा है कि उन्होंने विरोधी पक्ष के नेता और मुख्य मंत्री अर्थात् दोनों की बात सुन कर यह निर्णय अपने आप लिया है ।"

This has been published in "The Indian Express". The following has been published in "The Times of India".

"राज्यपाल से यह बात पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने सभा के सत्रावसान से पूर्व केन्द्र सरकार से परामर्श किया था तो राज्यपाल ने कहा कि मैंने उतनी ही सलाह ली है जितनी संवैधानिक रूप में आवश्यक है ।"

The House has been misguided by the Home Minister and thus the Constitution has been drastically neglected. Besides the Government is functioning without a leader I am against this Bill.

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने सरकार को नेताविहीन कहा है । इस से यह पता चलता है कि उन्होंने भली-भान्ति सोचकर यह बात नहीं कही । यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है । दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि सभा का नेता सभा में उपस्थित नहीं रहता । क्या यह आवश्यक है कि सभा का नेता हर समय सभा में उपस्थित रहे ? जब भी आवश्यकता होती है वह सभा में उपस्थित रहती हैं । ऐसे अवसरों पर वह कभी भी अनुपस्थित नहीं रहीं । वह सभा में न भी उपस्थित हों परन्तु संसद भवन में तो रहती हैं । अतः ये सब बातें गलत हैं । परन्तु माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कोई न कोई मंत्री उन्हें उत्तर देने के लिये सभा में सदा उपस्थित रहे, यह नहीं हो सकता । माननीय सदस्य को सदा विरोध करने पर ही समय नहीं लगाना चाहिये, उन्हें सरकार की कुछ सहायता भी करनी चाहिये । सहायता का अर्थ यह है कि यथावश्यक सरकार की आलोचना की जानी चाहिये और जनता के हित में यथावश्यक सरकार का समर्थन भी किया जाना चाहिये ।

गृह मंत्री ने यह निश्चित रूप से कहा था कि उन्होंने राज्यपाल से इस मामले पर कोई विचार विमर्श नही किया ।

श्री मधु लिमये : केन्द्र ।

श्री मोरारजी देसाई : जब वे केन्द्र के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि गृहमंत्री ने सभा को गुमराह किया है । गृहमंत्री ने राज्यपाल से कुछ दिन पहले, आज या कल तक कोई बातचीत नहीं की । इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : Does the Governor tell lie ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरी बात राज्यपाल से हुई थी । मैं इस बारे में कुछ भी बताने के लिये तैयार नहीं । इसलिये मैं कहता हूँ कि माननीय सदस्य की बातों में कोई सार नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमान् जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वह मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हमें कुछ बतायें। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सभी संगठनों ने उनके साथ साक्षात्कार के लिये तथा उस सम्बन्ध में उनकी राय जानने के लिये एक पत्र लिखा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह यहां पर हमें बताये कि क्या उस प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और क्या वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ साक्षात्कार करने के लिये तैयार है।

यदि मजूरी पर रोक लगाई गई तो हम इसका निश्चित रूप में विरोध करेंगे चाहे हमें अखिल भारतीय स्तर पर ही हड़ताल क्यों न करवानी पड़े। जीवन बीमा निगम के 40 000 कर्मचारी स्वचालित यंत्रों का विरोध करने के लिये 25 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं। उनकी बहुत ही साधारण सी मांग है और वह यह कि वे इस समस्या पर एक बार फिर विचार करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस समस्या पर नये सिरे से चर्चा की जाये। परन्तु जीवन बीमा निगम इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहता। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन बातों का उत्तर दिया जाय।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The former Dean of the Madras General Hospital has done a vaccotorny operation of a 14 years old child. This is a very serious matter and I would request the Government to look into this matter and it should also be ensured that the scheme of incentives in the form of cash and kind is not being misused.

The proprietors of Gujrati daily "Prabhat" and weekly "Nav Savrashtra" are getting the quota of the paper for these both papers but in fact there is only one paper. The difference is only of the title. I would request the hon. Minister to look into this matter.

So far as the question of liquid an onia is concerned, the hon. Minister is avoiding the question. He is trying to explain the difference between the fertilizers made of Nitrozen and Phosphate.

According to a circular issued by the Indian Cotton Mills Federation the quota of cotton is given to the mills only when it is proved that they have paid the cess levied by that Federation. Therefore it is clear that the cess is not voluntary as is claimed by the Government. During the last six years about fifty crores of rupees have been recovered in the form of this cess. The Government should have spent this amount for increasing the production of cotton.

It has already appeared in the Newspapers that the espionage case of Shri Rohit Chowdry and cess has been done away with because the police officials could not present themselves in the Court. I would like the hon. Minister to inform why the police official could ask present themselves in the court on such an important case.

The high priest of the Bohra Community who came here in 1963 amassed five lakh ponds and took away this amount for credit in his bank account in Europe. Shri Noman contractor, a young man of the said community has exposed the black deeds of the priest. His efforts in this regard should be praised.

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : सरकार अखबारी कागज़ की चोर बाजारी को रोकने की ओर ध्यान दे रही है। सभा में दिये गये सुझाव के अनुसार 1959 में एक तथा 1965 में दो दल नियुक्त किये गये थे। 1960 से 1966 तक 2641 समाचारपत्रों की बिक्री की जांच की गई थी तथा इस फलस्वरुप 43,52,855 प्रतियों की कमी की गई है। इससे 87.4 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

गुजराती दैनिक तथा साप्ताहिक नव सौराष्ट्र के मालिक-न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी, अहमदाबाद है। 1961–62 में उनकी बिक्री की जांच की गई थी। इसके पश्चात 1965 में भी उनकी बिक्री की जांच की गई थी जिसके फलस्वरूप प्रभात की प्रतियों की संख्या को घटा कर 6000 कर दिया गया है। 'नवसौराष्ट्र" की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी दूगां। अक्तूबर 1966 में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने सुनील दास तथा मोहित चौधरी पटेल मामले की जांच का कार्य अपने हाथ में ले लिया था। जांच का कार्य जून के महीने में पूरा हो गया था तथा कलकत्ता में मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस बारे में 5 जुलाई की तिथि नियत की गई थी। परन्तु सम्बन्धित जांच अधिकारी ठीक समय पर कलकत्ता नहीं पहुंच सका। इस कारण यह है कि वह एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में लगा हुआ था। परन्तु फिर भी उसकी ओर से अन्य पुलिस अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए थे। चार अभियुक्तों में से तीन न्यायालय में उपस्थित थे जब कि मुख्य अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट ने स्वविवेक से अभियुक्त को मुक्त कर दिया है। इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए हमने एक अन्य शिकायत दर्ज करवाने का निश्चय किया है। पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति के बारे में स्वंय मैं ने जांच की है और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इसमें लापरवाही नहीं की गई है।

श्री के० के० शाह : मैं एक शुद्धि करना चाहता हूं कि पहला दल 1959 में नहीं बल्कि 1960 में नियुक्त किया गया था।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : जहां तक महंगाई भत्ते का प्रश्न है मैं इस बारे में आज कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सरकार ने अभी इस मामले पर कोई निर्णय नहीं किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसमें देश की

समूचि अर्थ व्यवस्था सम्बन्धित है। अतः इस मामले में निर्णय करने के लिए अभी और कुछ समय लगेगा। जब तक सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं कर लेती तब तक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कोई लाभदायक चर्चा नहीं हो सकती। फिर भी यदि वे मुझ से मिलना चाहे तो मैं उसके लिये तैयार हूं।

जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है वह एक स्वायत्त निगम है और सरकार उसके कार्यों में हस्तक्षेप नही करती। इसके बावजूद भी यदि उसके कर्मचारियां के प्रतिनिधि मुझे मिलना चाहे तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं।

उर्वरकों के लिए ताल एमोनिया के सम्बन्धी में अभी कोई नीति नहीं बनाई गई है। मैं केवल इतना ही कह सकता है कि इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया जायेगा। गत सप्ताह बोहरा समुदाय के धर्मगुरु की गतिविधियों के बारे में पता लगा है।मैं तथ्यों को जानने का यत्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि से वित्तीय वर्ष 1967-68 की सेवाओं के लिए कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी खण्डों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सत्र और विधेयक का नाम विधयेक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) । मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 24 जुलाई, 1967/ श्रावण 2, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 24th July, 1967/2, Sravana, 1989 (Saka).